PART 1

HARYANA GOVERNMENT

LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 2nd June, 2008

No. Leg. 26/2008.—The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 28th May, 2008 and is hereby published for general information:-

HARYANA ACT NO. 25 OF 2008 THE HARYANA POLICE ACT, 2007

AN

ACT

to provide a new State police law for establishment, regulations and management of the police, redefine its role, duties and its responsibilities and to enable it to function as an efficient, professional, effective, accountable, people friendly and responsive agency by taking into account the emerging challenges of policing, enforcement of rule of law, the concern for security of the State and the people, good governance and human rights.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fifty-eighth Year of the Republic of India.

Chapter I

Definitions and Interpretations

This Act may be called the Haryana Police Act, 2007. 1. (1) Short title Extent and It extends to the whole of the State of Haryana. Commencement (2) (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-(1) Definitions. (a) "Cattle" include cows, buffaloes, elephants, camels, horses, asses, mules, sheep, goats and swine; "Commissioner" means Commissioner of Police appointed as such under (b) Section 8 of this Act; "Competent authority" means the authority as may be prescribed; (C) (d) "Group C posts" means the posts so categorized under the relevant State

Service Rules:

- (e) "Insurgency" includes waging of armed struggle by a group or a section of population against the State with a political objective including the separation of a part from the territory of India;
- (f) "internal security" means preservation of sovereignty and integrity of the State from disruptive and anti-national forces from within the State;
- (g) "militant activities" include any violence of a group using explosives, inflammable substances, firearms or other lethal weapons or hazardous substance in order to achieve its political objectives;
- (h) "municipal area" means the area as defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the rules made there under;
- (i) "organized crime" includes any crime committed by a group or a network of persons in pursuance of its common intention of unlawful gain by using violent means or threat of violence;
- (j) "police district" means the area as is notified under section 10 of Chapter II of this Act as distinct from a revenue district;
- (k) "place of public amusement and public entertainment" include such place as may be notified by the State Government;
- "police officer" means any member of the police service of the State constituted under this Act and includes Indian Police Service (IPS) officers of State cadre;
- (m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (n) "public place" means any place to which the public have access and includes,-
 - (i) a public building, market, malls, trains, buses, monuments and precincts thereof; and
 - (ii) any place accessible to the public for drawing water, washing or bathing or for purposes of recreation;
- (o) "regulations" means regulations made under this Act;
- (p) "rules" mean rules made under this Act;
- (q) "service" means the police service constituted under this Act;
- (r) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
- (s) "subordinate rank" means all ranks below the Assistant or Deputy Superintendent of Police
- (t) "terrorist activity" includes any activity of a person or a group using explosive or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or noxious gases or other chemicals or any other substance of a hazardous nature with the aim to strike terror in the society or any section thereof, and with an intent to overawe Government established by law.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined specifically shall have the meanings assigned to them in the General Clauses Act, 1897 (Act 10 of 1897), the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860).

Chapter II

Constitution and organization of police service

Constitution of Police service

Organization and

composition of Police service.

other

State Government under this Act. Notwithstanding anything contained in any

There shall be one Police service for the State, constituted by the

law or any of the provisions of this Act, members of the police service shall be liable for posting anywhere in the State and outside the State as ordered by the competent authority and to any branch of the service in the State, including any of its specialised wings.

4. Subject to the provisions of this Act,-

(1) the police service shall consist of such numbers in various ranks and have such organization or cadres as the State Government may, by general or special order, determine and shall include the members of the Indian Police Service allocated to the State;

(2) the direct recruitment to various gazetted and non-gazetted ranks in the police service shall be made through a State Level Police Recruitment Board or District Level Police Recruitment Boards by a transparent process, adopting well codified systems which shall be framed under this Act;

(3) the pay, allowances, service conditions, mode of recruitment of the police personnel shall be such as may be prescribed from time to time;

(4) police personnel shall at all times remain accountable to the law and responsive to the lawful needs of the people and shall observe codes of ethical conduct and integrity.

5. (1) For the overall direction and supervision of the Police service, the state Government shall appoint a Director General of Police who shall exercise such powers perform such functions and duties, and have such responsibilities and such authority, as may be prescribed.

(2) The State Government may appoint one or more Directors General of Police, Additional Directors General, and as many Inspectors General, Deputy or Assistant Inspectors General of Police as may be necessary.

(3) The State Government may, by a general or special order direct in what manner and to what extent Additional Director General or an Inspector General or a Deputy or Assistant Inspector General of Police shall assist and aid the Director

Appointment of Director General ADDITIONAL DIRECTOR General, Inspector General, Deputy Or Assistant Inspector General.

3.

General of Police in the performance, exercise and discharge of his functions, powers, duties and responsibilities.

6. (1) The State Government shall appoint the Director General of Police from amongst the officers holding the rank of Director General of Police.

(2) The Director General of Police so appointed shall have a minimum tenure of one year irrespective of his normal date of superannuation:

Provided that the Director General of Police may be transferred from the post before the expiry of his tenure by the State Government through a written order specifying reasons, consequent upon:

- (a) conviction by a court of law in a criminal offence or where charges have been framed by a court in a case involving corruption or moral turpitude; or
- (b) punishment of dismissal, removal, or compulsory retirement from service or of reduction to a lower post, awarded under the provisions of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 or any other relevant rule; or
- (c) incapacitation by physical or mental illness or otherwise becoming unable to discharge his functions as the Director General of Police; or
- (d) promotion to a higher post under either in the State or the Central Government.

7. (1) The State Government may appoint adequate Legal officers and Finance officers to aid and advise the Director General of Police on legal and financial matters, as may be prescribed.

(2) The State Government may also appoint in every District Police Unit and City Police Commissionerate, as the case may be, one or more Legal officers to advise the police on legal issues and matters including the adequacy or otherwise of the available evidence as deemed necessary in various cases investigated by them.

(3) Appointment of officers under sub-sections (1) and (2) shall be made in the made in the manner as may be prescribed.

8. The State Government may, be notification in the Official Gazette, establish for each of the major urban areas as may be notified for the purpose from time to time, a police system which is capable of handling the typical complex problems of crime, public order and internal security in urban or suburban areas, which call for quick and comprehensive response springing from purposeful direction, unitary chain of command, professional competence, functional specialization, and legal authority coupled with accountability as follows:-

Selection and term of office of Director General of Police.

Appointment of Legal and Finance officers.

Administration of Police in municipal areas, Major urban area and other notified areas.

- (i) the State Government may appoint a police officer not below the rank of Inspector General of Police to be the Commissioner for any area specified in a notification issued by the State Government in this behalf and published in the Official Gazette:
- (ii) the Commissioner shall exercise such powers, perform such functions and duties and shall have such responsibilities and authority as are provided by or under this Act or as may otherwise be directed by the State, Government by a general or special order:

Provided that the State Government may direct that any of the powers, functions and duties, responsibilities or authority exercisable or to be performed or discharged by the Commissioner shall be exercised, or discharged subject to the control of the Director General of Police:

Provided further that in any area for which a Commissioner is appointed and is empowered to exercise any power or perform any function or duty under this Act or any other Act, the District Magistrate shall not exercise the same power or perform the same function or duty notwithstanding the fact that such area forms part of a district within the territorial jurisdiction of the District Magistrate.

9. The State Government may, by notification in the Official Gazette, divide the entire geographical area of the State into one or more police ranges. Each range, comprising two or more police districts, shall be headed by an officer of the rank of Inspector General of Police who shall supervise the police administration of the range and report to the Director General of Police.

10. The State Government, in consultation with the Director General of Police, may by notification in the Official Gazette, declare any area within the State to be a police district. The administration of the police throughout such district shall vest in the Superintendent of Police of a district who may be assisted by as many Additional, Assistant or Deputy Superintendents of Police, as deemed necessary and are notified.

11. (1) For the purpose of dealing with a particular category of crime or providing better service to the community at large including victims of crime, the State Government may, by notification in the Official Gazette, create one or more Special Cells in each Police District, to be headed by an officer of not below the rank of Inspector.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette divide each police district into as many Sub-Divisions as deemed necessary, to be headed by an officer of the rank of Assistant or Deputy Superintendent of Police.

Police Stations

12. (1) The State Government may, on recommendation of the Director General of

Creation of Police range.

Police districts

District Level Special Cells and Sub-Divisions. Police and by notification in the Official Gazette, create as many police stations with as many outposts as may be necessary, in a police district as deemed necessary, duly keeping in view the population, the area, the crime situation, the workload in terms of law and order and the distances to be traversed by the inhabitants to reach the police station.

(2) Each police station shall be headed by a Station House Officer not below the rank of Sub-Inspector of Police.

(3) There shall be a crime investigation unit of appropriate strength in each police station.

(4) The Superintendent of Police of a district may constitute a Community Liaison Group as may be prescribed for each Police station comprising respectable local residents of the area including the representatives of the weaker sections and women with unimpeachable character and antecedents and aptitude for community service to aid and advise the police in its functioning.

13. (1) An officer posted as Inspector General of Police of a range or Superintendent of Police of a district shall have a minimum term of one year:

Provided that any such officer may be removed by the appointing authority from his post before the expiry of the minimum tenure prescribed consequent upon:

- (a) promotion to a higher post; or
- (b) conviction, or charges having been framed, by a court of law in a criminal offence; or
- (c) punishment of dismissal, removal, discharge or compulsory retirement from service or of reduction to a lower rank awarded under the relevant Discipline and Appeal Rules; or
- (d) suspension from the service in accordance with the provisions of the said rules; or
- (e) incapacitation by physical or mental illness or otherwise becoming unable to discharge his functions and duties; or
- (f) the need to fill up a vacancy caused by promotion, transfer, or retirement.

(2) In exceptional cases, an officer may be transferred from his post by the competent authority before the expiry of his tenure for gross inefficiency and negligence or where a *prima facie* case of a serious nature is established after a preliminary enquiry.

Coordination with
district administration14.(1) For the purpose of efficiency in the general administration of the district,
the Superintendent of Police of a district shall maintain proper coordination with the
District Magistrate or Deputy Commissioner of the district. It shall be lawful for the

Terms of office of key police functionaries.

District Magistrate, in addition to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) and other relevant Acts, to coordinate and direct the functioning of the police with other agencies of district administration in respect of matters relating to the following:-

- (a) promotion of land reforms and the settlement of land disputes;
- (b) extensive disturbance of the public peace and tranquility in the district;
- (c) conducting elections to any public body;
- (d) handling of natural calamities and rehabilitation of the persons affected thereby;
- (e) situation arising out of any external aggression or internal disturbances;
- (f) any similar matter, not within the purview of any one department and affecting the general welfare of the public.
- (g) removal of any persistent public grievance; and
- (h) communal or caste clashes.

(2) For the purpose of coordination, the District Magistrate may call for information of a general or special nature, as and when required, from the Superintendent of Police of a district and heads of other departments of the district. Where the situation so demands, the District Magistrate shall pass appropriate orders and issue directions in writing, to achieve the objective of coordination.

(3) For the purpose of coordination, the District Magistrate shall ensure that all departments of the district, whose assistance is required for the efficient functioning of the police, render full assistance to the Superintendent of Police of a district.

Railway Police.

15. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, create one or more special railway police districts with required number of Railway Police Sub-Divisions and railway police stations consisting of such railway lines and other railway areas in the State as it may notify, and appoint a Superintendent of Police, one or more Assistant and Deputy Superintendents of Police and such other police officers for policing such district in the manner as may be prescribed or may notify one or more police stations in each police district to police the railway lines and other railway establishments within their area.

(2) The police stations as may be notified shall be responsible for prevention, detection and investigation of crime, enforcement of law and maintenance of order in trains passing through their area, in railway lines area and other railway area falling in their jurisdiction in the manner as may be prescribed.

16. The State Police shall have a State Intelligence Wing for collection, collation, analysis and dissemination of intelligence and a separate State Crime Investigation

State Intelligence and Criminal Investigation Wings.

Wing for collection, collation and analysis of criminal intelligence and for investigating, heinous crime with inter-state, inter district ramifications, major economic offences, cyber crime and other cases of serious nature as may be prescribed.

Technical and Support Service.

Police Training

17. (1) The State Government shall create and maintain such specialised and technical agencies and services, under the Director General of Police as considered necessary or expedient for promoting efficiency of police service.

(2) The services so created shall include a full fledged Forensic Science Laboratory at the State Level, and a Finger Print Bureau, the State Crime Record Bureau, Telecommunication Wing and such other establishments as may be required from time to time. The Director General of Police may hire or engage services of any person or body of persons qualified for this purpose on contractual basis.

(3) The State Police shall have a Research Wing to undertake specific studies relating to policing and crime in the State. The Director General of Police may hire or engage services of any person or body qualified for this purpose on contractual basis.

18. (1) The State Government shall establish a Police Training Academy at the State Level and as many Police Training Colleges and Police Training Schools as deemed necessary for ensuring efficient post-induction training of all directly recruited police personnel in various ranks, pre-promotion training for all those promoted to higher levels and such other general and specialized in-service training courses for police personnel of different ranks and categories as may be required from time to time.

(2) The State Government shall also provide for appointment, by rules, of appropriate number of officers from the police service, or paramilitary forces or armed forces or other professional organizations, in such Police Training Academy, College and School, after careful selection having due regard to aptitude, academic qualifications, professional competence, experience and integrity. The State Government shall evolve a scheme of monetary and other incentives to attract and retain the best of the available talent in the service to the faculties of such training institutions.

(3) No police officer shall be deployed on duty without undergoing and passing any basic training as may be prescribed. No Police Officer shall be promoted to any higher rank without undergoing and passing pre-promotion training as may be prescribed.

Oath or affirmation by Police personnel.

19. Every member of the police service enrolled under this Act shall, on appoint-

ment and completion of training, make and subscribe before the Superintendent of Police of a district or Commissioner, as the case may be, or another officer appointed in that behalf by him, as the case may be, an oath or affirmation, as may be prescribed.

20. (1) Every police officer of or below the rank of Inspector shall on appointment

Certificate of appointment.

receive and insignia and a certificate in the form as may be prescribed. The certificate shall be issued under the hand and seal of such officer as the State Government may by general or special order direct.

(2) The certificate of appointment shall become null and void, and the insignia shall be deemed to be withdrawn whenever the person named therein ceases to belong to the service or shall remain inoperative during the period such person is suspended from the service.

Special Police Officers.

21. (1) The Superintendent of Police of a district or any officer, specially empowered in this behalf by the State Government, may, at any time by a written order issued under the hand and seal of such officer, appoint, for a period as specified in the appointment order, any able-bodied, educated and willing person between the age of 18 and 50 years, whom he considers fit to be a Special Police Officer to assist the service.

- (2) Every special police officer so appointed -
 - (a) shall on appointment, undergo prescribed training and thereafter receive a certificate in a form approved by the State Government in this behalf;
 - (b) shall have the same powers, privileges and immunities and be liable to the same duties and responsibilities and be subject to the same authorities as an ordinary police officer;
 - (c) shall be honorary. However the State Government, may be special order, prescribe the honorarium to be paid to such special police officers;
 - (d) who refuses to act as a special police officer or neglects his duties, shall be liable on conviction by a court to a fine of minimum of one thousand rupees.

22. The service shall have such ranks and posts as may be prescribed or as may

be notified by the State Government. The recruitment, training, posting, deputation, promotion, code of conduct, discipline, punishment and appeal and other service conditions of various ranks of service shall be as per rules.

23. To assist the civil police in enforcement of law and maintenance of order or in situations of likely breach of peace and in disaster management functions, in escort of prisoners, as well as to discharge such other duties which may require special weapons and tactical teams or presence of armed police, the State Government shall create Armed Police Units or Special Armed Police Units with appropriate manpower strengths in the form of an Armed Police Reserve for each police district, and appropriate number of Armed Police Battalions for the State. The constitution, recruitment, training,

Rank structure in civil and armed police.

District Armed Reserves and State Armed Police Battalions. deployment and administration of such reserves and Battalions shall be as per rules made under this Act.

Chapter III

Superintendence and Administration of Police

24. The Superintendence of State Police shall vest in and be exercised by the State Government in accordance with the provisions of this Act, and any other law for other law for the time being in force.

25. The State Government shall, within three months of the coming into for of this Act, establish a State Police Board to exercise the functions assigned to it under the provisions of this Chapter.

Composition of Board. 26.

Superintendence of State Police to vest in

State Government

State Police Board.

- (1) The State Police Board shall consist of following members:
 - (a) the Chief Minister as its Chairperson;
 - (b) the Home Minister as Vice-Chairperson;
 - (c) the Leader of the Opposition in the State Assembly;
 - (d) a retired High Court Judge or Advocate General, Haryana;
 - (e) the Chief Secretary;
 - (f) the Secretary in charge of the Home Department;
 - (g) the Director General of Police as its Member- Secretary;
 - (h) three non-political persons (hereinafter referred as 'Independent Members') of high integrity, expertise and competence in administration, law enforcement and security related matters shall be nominated by the State Government. Out of these, one shall be the retired officer of Indian Administrative Service and one retired Indian Police Service Officer. The third member shall be nominated by the State Government from the field of public service, legal profession or social organizations with at least fifteen years experience in that field.
- Note:- The Independent Members shall be honorary members.
 - (2) No Serving Government employee shall be appointed as an Independent Member.
 - (3) Any vacancy in the State Police Board shall be filled up as soon as practicable after the seat has fallen vacant:

Provided that if there is no Home Minister then the Chief Minister may nominate any other Minister as the Vice-Chairperson.

Eligibility of Independent Members.

- 27. The person to be appointed as Independent Member of the State Police Board Shall--
 - (a) be a citizen of India;
 - (b) be at least a graduate of a recognized university;

- (c) have not been convicted by a court of law or against whom charges have been framed in a court of law; (d) not have been dismissed or removed from service or compulsory retired on the ground of corruption or misconduct; and (e) not be of unsound mind. A person shall be appointed as an Independent Member for a period of three years. Term of office of 28. Independent Members. the same person shall not be appointed for more than two consecutive terms. 29. Removal of (1) An Independent Member may be removed from the State Police Board by the State Independent Members. Government on any of the following grounds-(a) proven incompetence; or (b) proven misbehavior; or (c) incapacitation by reasons of physical or mental infirmity or otherwise becoming unable to discharge his functions as a member. (2) In addition to the grounds mentioned in sub-section (1), an Independent Member shall be removed from the State Police Board if he incurs any of the grounds of ineligibility specified under section 27. 30. Functions of The State Police Board shall perform the following functions namely:-State Police Board. (a) aid and advise the State Government in discharge of its functions and responsibilities under this Act; (b) frame broad policy guidelines for promoting efficient, effective, responsive and accountable policing in accordance with the law; and (c) review and evaluate organizational performance of the service in the State. 31. Expenses of The expenses account of allowances on and travel of the State Police Board. Independent Member shall be borne by the State Government in the manner as may be prescribed. 32. (1) The administrator of the State Police throughout the State shall be vested in the Administration Director General of Police and in such Additional Directors General, Inspector General, of State Police. Deputy Inspectors General of Police and other police officers as may be appointed under this Act. (2) The administration of police in a district shall vest in the Superintendent of Police of
 - a district:

Provided that the State Government may intervene in the exercise of the powers of administration by the Director General of Police, or any other authorized officer only in accordance with the prescribed rules, regulations or in exceptional circumstances involving urgent public interest.

As the head of the service, it shall be the responsibility of the Director General of

Powers and responsibilities of Director General of Police.

(a) make operational the policies and any action plans approved by the State

Government; and

Police to —

(b) administer, control and supervise the service to ensure its efficiency, effectiveness, responsiveness and accountability.

34. (1) The State Government may constitute a police establishment committee (hereinafter referred to as the, "establishment committee") with the Director General of Police as its Chairperson and two other senior officers not below the rank of Inspector General of Police posted within the police organization of the State as members for administrative matters.

(2) The establishment committee may prepare an action plan for improving the infrastructure facilities, professionalism, general discipline in the service, moderanisation, training, welfare of the police personnel and any other work assigned by the State Government.

Chapter IV

Policing in the context of public order and internal security challenges

Internal Security The Director General of Police shall, with the approval of the State Government, 35. Scheme. draw up an Internal Security Scheme for the entire State as well as for each of the districts and urban areas notified, to deal with problems of public order and security of State as specific to the area. Updating standard 36. The Internal Security Scheme shall incorporate regularly updated and operating procedure. comprehensive standard operating procedures for the action to be taken by the police, independently or in coordination with other concerned agencies in the period preceding, during, and in the aftermath of problems of each kind. Creation

Creation of Special 37. If and when the security of the State in an area is threatened by insurgency, any terrorist or militant activity, or activities of any organised crime group, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare such area as a Special Security Zone:

Provided that such notification shall be placed before the State Legislature, within a period a six months from the date of issue, or the first sitting of the Legislature, whichever is earlier.

Police Establishment Committee. Police structure. 38. The State Government shall create an appropriate police structure and a suitable command, control and response system, for each Special Security Zone.

Functioning of different
wings39. The State Government, in order to ensure coordinated functioning of different
wings of the administration, shall set up, in each Special Security Zone, a suitable
administrative structure which shall integrate administrative and developmental
measures in the area with the police response to deal with the problems of public order
and security.

Standard procedures. 40. The Director General of Police shall, with the concurrence of the State Government, issue orders, laying down standard operating procedures to be followed by the police in a Special Security Zone.

Banning and regulation of certain devices and substances.
41. The State Government may, on the recommendation of the Director General of Police, and for reasons to be recorded in writing, ban or regulate the production, Sale, storage, possession or entry of any devices, or equipment, or any explosive, poisonous, chemical, biological or radioactive articles or substances, or any inflow of funds, in a Special Security Zone, if the use of such devices, or equipment, or any explosive, or poisonous, chemical, biological or radioactive articles or substances, or any inflow of funds, in a Special Security Zone, is reasonably considered a threat to internal security or public order in the area, in any manner

Framing of rules. 42. The State Government, for any Special Security Zone falling within the State, may frame rules to prevent and control the activities of persons or organizations, which may have an impact on internal security or public order.

Chapter V

Effective Crime Investigation

Investigations by District43. The State Government shall, by notification in the Official Gazette, create in every
district, a specialised crime investigation unit, headed by an officer not below the rank
of Inspector with an appropriate strength of officers and staff, for investigating economic
and heinous crimes. The Personnel posted to this unit shall not be diverted to any other
duty, except under very special circumstances with the written permission of the
Director General of Police.

Selection of officers. 44. The officers posted in special crime investigation units shall be selected on the basis of their aptitude, professional competence and integrity. Their professional skills shall be upgraded, from time to time, through specialised training in investigative

techniques, particularly in the application of scientific aids to investigation and forensic science techniques.

Investigation of crimes 45. The officers posted to the special crime investigation units may investigate crimes such as murder, kidnapping, rape, dacoity, robbery, dowry-related offences, serious cases of cheating, misappropriation and other economic offences, as notified by the Director General of Police, besides any other cases specially entrusted to the unit by the Superintendent of Police of a district.

46. Necessary legal and forensic aid mav be made available to Legal and forensic advice. investigating officer during investigations.

Chapter VI

Role, Functions, Duties and Responsibilities of the Police

Role, functions, and duties.

47.

- The role and functions of the police shall broadly be,-
 - (a) to prevent and detect crime;
 - (b) to protect life and property and maintain law and order;
 - (c) to preserve public order;
 - (d) to provide possible help to people in distress or in situations arising out of natural or man-made disasters;
 - (e) to facilitate orderly movement of people and vehicles;
 - (f) to collect intelligence relating to matters affecting public peace, crime, social harmony and security of state and take appropriate action;
 - (g) to take charge of all unclaimed property and take action as per rules;
 - (h) to prevent and control public nuisance;
 - (i) to enforce any other duty assigned by law.

48. A senior police officer may perform any duty assigned by law or by a lawful order to any officer subordinate to him, and may aid, supplement, supersede or prevent any action of the subordinate by his own action or that of any person lawfully acting under his command or authority, whenever the same shall appear necessary or expedient for giving more complete or convenient effect to the law or for avoiding any infringement thereof.

Senior police officer performing duties of subordinate officer.

Police officers to kept diary.

49. (1) It shall be the duty of every officer in-charge of a police-station to keep a general diary in such form, as shall, from time to time be prescribed by the State Government and to record therein, all complaints and charges preferred, the names of all persons arrested, the names of the complainants, the offences charged against them, the weapons or property that have been taken from their possession or otherwise, and the names of the witnesses who have been examined.

(2) Every police station shall keep such records registers, forms and returns as may be prescribed.

(3) The Director General of Police may specify such returns, reports and statements connected with prevention and detection of crime, maintenance of order, performance of duties, administration and management of the police service.

Chapter VII

Regulation, Control and Discipline

50. The Director General of Police shall be competent to make regulations or issue orders, not inconsistent with the provisions of this Act or the rule framed thereunder regarding.-

- (a)prevention and investigation of crime;
- (b)maintenance of law and order;
- (c)regulation and inspection of the police organization and of the work performed by the police officers;
- (d)regulating the issue and use of arms and ammunition;
- (e)wearing of uniform;
- (f) prescribed the places of residence of the members of the police service;
- (g)institution, management and regulation of any Non-Government fund for the purpose connected with the police administration or welfare of police personnel;
- (h)regulation, deployment, movements and location of the police;
- (i) assigning duties to officers of all ranks and grades, and prescribing the manner and the conditions subject to which, they shall exercise and perform their respective powers and duties;
- (j) regulating the collection and communication of intelligence and information by the police;
- (k) prescribing the records registers and forms to be maintained and the returns to be submitted by different police units and officers;
- (I) community policing;
- (m) functioning of police stations and other units;
- (n) training of the police force and management of training institutions;
- (o) generally, for the purpose of administering this Act and for rendering the police more efficient, and preventing abuse of power or neglect of duties by them;

Regulations⁻

(p) covering any aspect of police administration which is not covered under the provisions of this Act or rules framed thereunder.

Every police officer shall be considered to be always on duty and may at

Police officers to be always on duty.

51.

53

Abdication of duties.

any time be deployed in any part of the State or outside the State.

52. No police officer shall abdicate his duties or withdraw himself from his place of posting or deployment, without proper authorization.

Explanation:- An officer who, being absent after expiry of authorized leave without reasonable cause shall be deemed within the meaning of this section to have withdrawn himself from the duties of his office.

whatsoever, other than his duties under this Act.

No police officer shall engage in any other employment or office of profit

Employment in office of profit.

Penalty for causing disaffection.

54. Whoever, intentionally causes or attempts to cause, or does any act which is likely to cause disaffection towards the Government established by law, amongst the members of a police force, or induces or attempts to induce or does any act which is likely to induce, any member of police force to withhold his services or to commit a breach of discipline, shall be punished with imprisonment which may extent to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

Explanation:- Expression of disapprobation of measures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, or of disapprobation of the administrative or other action of the Government, do not constitute an offence under this section unless they cause or are made for the purpose of causing or are likely to cause disaffection.

55. (1) No member of a police force shall, without the express sanction of the State Government-

- (a) be a member of, or be associated in any way with, any trade union, labour union, political association, or with any class of trade unions, labour unions or political associations;
- (b) be a member of, or be associated in any way with, any other society, institution, association, or organization that is not recognized as part of the with any class of trade unions, labour unions or political associations;
- (c) communicate with the press or publish or cause to be published any book, letter or other documents except where such communication or publication is in the bona fide discharge of his duties or is of a purely literary, artistic, scientific character or is of a prescribed nature.

Restrictions respecting right to form association, freedom of speech. *Explanation:-* If any question arises as to whether any society, institution, association or organization is of a purely social, recreational or religious nature under clause (b) of this sub-section, the decision of the State Government, thereon, shall be final.

(2) No member of a police force shall participate in, or address, any meeting or take part in any demonstration organized by any body of persons for any political purpose or for such other purposes as may be prescribed.

56. Any person who contravenes the provisions of sections 41 and 55 shall, without prejudice to any other action that may be taken against him, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, which may extend to ten thousand rupees or with both.

Employment of police officer beyond the State to which they belong.

Extension of disciplinary laws of State to member of service when serving outside State. 57. Subject to any orders which the Central Government may make in this behalf, a member of the police force of Haryana State may discharge the functions of a police-officer in any part of any other State and shall, while so discharging such functions, be deemed to be a member of the police force of that State and be vested with the powers, functions and privileges and be subject to the liabilities of a police officer belonging to that State's police force.

58. Where any detachment of the police force of Haryana State is serving in any part of any other State, whether independently or by being attached to the police force of that other State, then, every member of the said detachment, while discharging the functions of a police officer in that other State, shall continue to be subject to the same laws in respect of discipline as would have been applicable to him, if he had been discharging those functions within Haryana State.

Chapter VIII

Police

Accountability

State Police complaint Authority.	59. The State Government shall, within three months of the commencement of this Act,
	establish at the State Level, a Police Complaint Authority, which shall be either a retired
	Judge or a retired civil servant, not below the rank of Secretary to the State or a lawyer
	well versed with criminal law and with an experience of at least twenty years in the
	relevant field, for inquiries and investigations into the complaints against the police
	officers and officials of the State.
Ineligibility.	60. A person shall be ineligible to be appointed as Authority, if he -(a) is not a citizen of India;

(b) is above seventy years of age;

Penalty.

- (c) is employed as a public servant;
- (d) holds any elected office, including that of member of Parliament or State Legislature or any local body;
- (e) is a member of or is associated in any manner with, an organization declared as unlawful under any existing law;
- (f) is an office bearer or a member of any political party;
- (g)has been convicted for any criminal offence involving moral turpitude or for an offence punishable with imprisonment of one year or more;
- (h)is facing prosecution for any offence mentioned in clause (g) above and against whom charges have been framed by a court of law; or
- (i) is of unsound mind and has been so declared by a competent court.
- 61. (1) The term of office of the Authority shall be of three years unless -
 - (a) he resigns at any time before the expiry of his term; or
 - (b) he is removed from the office on any of the grounds mentioned in section 62.

Provided that he may be appointed for a second term also if deemed appropriate by the State Government.

(2) The remuneration, allowances and other terms and conditions of service of the Authority shall be as such as may be notified by the State Government from time to time and shall not be varied to his disadvantage after appointment.

Removal of Authority.

62. The Authority may be removed by the State Government on the grounds of -

- (a) proven misconduct or misbehavior;
- (b) persistence neglect to perform duties;
- (c) occurrence of any situation that would make him ineligible for appointment under section 60; or
- (d) engaging himself during his term of office in any paid employment outside the duties of his office.

Supporting staff of Authority. 63. The Authority shall be assisted by adequate number of officers well versed with the law, finances, in investigative techniques etc. and the requisite supporting staff with terms and conditions and allowances as may be prescribed for the efficient discharge of its functions.

Conduct of business. 64. The Authority shall devise his own rules for the conduct of his business.

Term of office and conditions of Authority.

Functions of Authority. 65. (1) The Authority shall inquire into allegations of "serious misconduct" against police personnel as detailed below, either *suo motu* or on a complaint received from any of the following:-

(a) a victim or any person on his behalf on a sworn affidavit;

(b) the National or State Human Rights Commission.

Explanation.- "Serious misconduct" for the purpose of this Chapter shall mean any act or omission of a police officer that leads to or amounts to -

(a) death in police custody;

(b) rape or attempt to commit rape;

(c) grievous hurt in police custody;

Provided that the Authority shall inquire into a complaint of such arrest or detention, only if he is satisfied *prima facie* about the veracity of the complaint.

Provided further that no anonymous, synonymous, and pseudonymous complaints shall be entertained.

(2) The Authority may also inquire into any other case referred to it by the Director General of Police or the State Government.

Powers of Authority.

66. In the cases directly enquired by him, the Authority shall have all the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908) and in particular in respect of the following matters:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath;
- (b) discover and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (e) issuing authorities for the examination of witnesses or documents; and
- (f) any other matter as may be prescribed.

Decisions and directions of Authority.

67. (1) In the cases directly inquired by the Authority he may, upon completion of the inquiry, communicate his findings to the State Government.

(2) The State Government shall consider the findings and recommendations of the Authority and take appropriate action.

District Police Complaint Authority. 68. The State Government may notify and constitute a District Police Complaint Authority for each district as and when required.

Chapter IX

General Offences, Penalties and Responsibilities

Regulation of public assemblies and processions.

69. (1) The Superintendent of Police of a district or an officer not below the rank of Assistant or Deputy Superintendent of Police may, where necessary, direct the conduct of all assemblies and processions on any public road, street or thoroughfare, and specify the routes by which and the time at which such a procession may pass.

(2) It shall be the duty of any person intending to organize a procession on any road, street or thoroughfare, or to convene an assembly at any public place, to give intimation in writing to the officer incharge of the concerned police station.

(3) The Superintendent of Police of a district or any officer not below the rank of Assistant/ Deputy Superintendent of Police, on receipt of such intimation or otherwise, and upon being satisfied that such an assembly or procession, if allowed without due control and regulation, is likely to cause a breach of peace, may take necessary steps including making provisions for satisfactory regulatory arrangements, on which alone such assembly or procession may take place. Under special circumstances to be recorded in writing, the concerned officer may also prohibit the assembly or procession in public interest. All orders and directions shall be given within forty-eight hours of receipt of intimation, as far as possible.

70. The Superintendent of Police of a district or any officer not below the rank of Assistant or Deputy Superintendent of Police may regulate the time and the volume at which music and other sound systems are used in connection with any performances and other activities in or near streets or any public place that cause annoyance to the residents of the neighborhood.

71. (1) The Superintendent of Police of a district or any police officer authorized by him in this behalf, through a general or special order, may give reasonable directions to the public to keep order on public roads and streets, thoroughfares, or any public place, in order to prevent obstruction, injury, or annoyance to passers by.

(2) The Superintendent of Police of a district may issue general directions under sub-section (1), in respect of the whole district or any part thereof.

72. (1) Whoever contravene the provisions of sections 69, 70, 71 and 79 of this Act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

Regulation of use of music and other sound systems in public places.

Directions to keep order on public roads.

Penalty and composition of offences.

(2) However, either before or after the institution of prosecution, these offences may be compounded by such officers or authorities, and for such amount, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(3) Where an offence has been compounded under sub-section (2), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.

73. (1) The Superintendent of Police of a district may, by public notice, temporarily reserve for any public purpose, any street or other public place, and prohibit the public from entering the area so reserved, except on such conditions as may be specified.

(2) The Superintendent of Police of a district may authorize any police officer to erect barriers and other necessary structures on public roads and streets, to check vehicles or occupants thereof for violation of any legal provisions.

(3) In making such order, the Superintendent of Police of a district shall specify the necessary steps ensuring the safety of passers-by.

(4) The temporary structures shall be removed once the purpose for which they were installed is over.

74. Any person, who obstructs the discharge of duties and functions of a Police officer, shall, on conviction, be liable to simple imprisonment not exceeding three months or with fine or with both.

75. Whoever, not being a member of the service wears, without obtaining permission from an officer authorized in this behalf by the State Government by a general or special order, a police uniform or any dress having the appearance or bearing any of the distinctive marks of that uniform, shall, on conviction, be punished with imprisonment not exceeding six months or with fine or with both.

76. Whoever, having ceased to be a police officer, does not forthwith deliver up his certificate of appointment, clothing accouterment and other wherewithal supplied to him for the execution of his duty, shall on conviction by a court of law, be liable to a minimum fine of one thousand rupees.

77. Whoever makes a false statement or a statement which is misleading in material particulars to a police officer for the purpose of obtaining any benefit shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine not exceeding five thousand rupees or with both.

Power to reserve public places and erect barriers

Obstruction in police work.

Unauthorized use of police uniform.

Refusal to deliver up certificate etc. on ceasing to be police officers.

False or misleading statements made to a police officer.

Dereliction of duty by a police officer.

78. Whoever, being a police officer-

- (a) Intentionally abdicates duties or withdraws from duties; or
- (b) uses criminal force against another police officer, or indulges in gross insubordination; or
- (c) engages himself or participates in any demonstration, procession or strike, or resorts to, or in any way abets any form of strike, or coerces or uses physical force to compel any authority to concede anything shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with a fine not exceeding ten thousand rupees or with both.

79. (1) Any person who commits any of the following offences on any public road, or street or thoroughfare, or in any municipal council or corporation or notified area for the purpose of this section, to the inconvenience, annoyance or danger of the residents or passers by, shall on conviction by a court, be liable to imprisonment not exceeding one month or with fine of not less than one thousand rupees or with both-

- (a) allowing intentionally any cattle to stray, or keeping any cattle or conveyance of any kind standing longer than is required for loading or unloading or for taking up or getting down passengers, or leaving any conveyance in such a manner as to cause inconvenience or danger to the public or uses the public road or thoroughfare or footpath for sale or storage of goods;
- (b) indulges in a drunken brawl or affray or assaults any person or indulges in any indecent exposure of the body;
- (c) neglecting to fence in or duly protect any well, tank, hole or other dangerous place or structure under his charge or possession; or otherwise creating a hazardous situation in a public place;
- (d) defacing, or affixing notices, or writing graffiti on walls, buildings, road signs or other structures without the prior permission of the custodian of the property;
- (e) willfully damaging or sabotaging any public alarm system;
- (f) knowingly and willfully causing damage to an essential service, in order to cause general panic among the public;
- (g) acting in contravention of a notice publicly displayed by the competent authority in any Government building:
 Provided that the police shall take cognizance of this offence only upon a complaint made by an authorized functionary of the concerned office;
- (h) Causing annoyance to a woman by making indecent overtures or calls or by stalking:

Provided that the police shall take cognizance of this offence only upon a complaint made by the victim, or any person authorized by her;

offences by public

(i) releases any obnoxious gas or fluid which causes annoyance or inconvenience or likely injury to anyone.

(2) Whoever commits any offence under sub-section (1), on subsequent conviction shall be liable to enhanced punishment, including imprisonment not exceeding three months.

No court shall take cognizance of any offence under this Act when the accused 80. Prosecution of police person is a police officer except on a report in writing of the facts constituting such offence by, or with the previous sanction of an officer authorized by the State Government in this behalf.

81. Subject to the provisions as contained in section 300 of the Code of Criminal Prosecution for offences under other laws. Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), nothing in this Act shall be construed as preventing any person from being prosecuted and punished under any other law for anything done or made punishable by this Act.

No court shall take cognizance of any offence under this Chapter after the expiry 82. Limitation of actions of the period of limitation as provided for in section 468 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974). For computing the limitation period, provisions of Chapter XXXVI of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), shall apply.

Chapter X **Miscellaneous**

83. All powers, functions and duties of the Superintendent of Police of a district described in this Act shall be exercised, in respect of areas notified under section 9 of this Act, by the Commissioner or any other officer authorized in this behalf.

84. All fees paid for licenses or written permission issued under this Act, and all sums paid for the service of processes by police officers and all rewards, forfeitures and penalties or shares thereof which are by law payable to police officers as informers shall, save in so far as any such fees or sums belongs under the provisions of any enactment in force to any local authority, be credited to the State Government:

Provided that with the sanction of the State Government or under any rule made by the State Government in this behalf, the whole or any portion of any such reward, forfeiture or penalty may for special services, be paid to a police officer, or be divided amongst two or more police officers.

85. Any order or notification published or issued by the State Government or any officer under any provision of this Act, and the due publication or issue thereof may be proved by the production of a copy thereof in the Official Gazette, or of a copy thereof

Powers of Superintendent of Police to be exercised by Commissioner.

officer

Disposal of fees and rewards

Method of proving orders and notifications.

signed by such officer, and certified by him to be true of an original published or issued according to the provisions of the section of the Act applicable thereto.

86. No rule, regulation, order, direction, or notification made or published and no

adjudication, inquiry or act done under any provision of this Act, or under any rules made thereunder, which is in substantial conformity with the same, shall be deemed

87. Whenever in consequence of the office of a Commissioner or police officer

becoming vacant, any officer holding charge of the post of such Commissioner or

illegal, void or invalid merely by reason of any defect or form.

Validity of rules and orders.

officers holding charge of or succeeding to vacancies competent to exercise powers.

> police officer or succeeds, either temporarily or permanently, to his office, such officer shall be competent to exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Act on such Commissioner or police officer, as the case may be.

88. (1) Any license or written permission granted under the provisions of this Act shall

specify the period and locality for which and the conditions and restrictions subject to which, the same is granted, and shall be given under the signature of the competent authority and such fee shall be charged therefor, as may be prescribed.

(2) Any license or written permission granted under this Act may at any time be suspended or revoked by the competent authority, if any of the conditions or restrictions is infringed or evaded by the person to whom it has been granted, or if such person is convicted of any offence in any matter to which such license or permission relates.

(3) When any such license or written permission is suspended or revoked, or when the period for which the same was granted has expired, the person to whom the same was granted shall for all purposes of this Act, be deemed to be without a license or written permission until the order for suspending or revoking the same is cancelled, or until the same is renewed, as the case may be.

(4) Every person to whom any such license or written permission has been granted, shall, while the same remains in force, at all reasonable times, produce the same, if so required by a police officer.

Explanation. - For the purpose of this section any such infringement or evasion by, or conviction of, a servant or other agent acting on behalf of the person to whom the license or written permission has been granted, shall be deemed to be infringement or evasion by, or as the case may be, conviction of the person to whom such license or written permission has been granted.

89. Any public notice required to be given under any of the provisions of this Act

Licenses and permissions. shall be in writing under the signature of a competent authority and shall be published in the locality to be affected thereby, by affixing copies thereof in conspicuous public places, or by proclaiming the same with beat of drums, or by advertising the same in such local newspapers of English or regional language or Hindi as the said authority may deem fit, or by any two or more of these more of these means or by any other means as it may think suitable:

Provided that the competent authority may, on being satisfied that it is in public interest to bring any regulation into force with immediate effect, make such direction or regulation without previous publication.

Consent of competent authority.

90. Whenever under this Act, the doing or the omission to do anything or the validity of anything depends upon the consent, approval, declaration, opinion or satisfaction of a competent authority, a written document signed by a competent authority purporting to convey or set forth, such consent, approval, declaration, opinion or satisfaction, shall be sufficient evidence thereof.

Signature on notices.

91. Every license, written permission, notice, or other document, not being a summons or warrant or search warrant, required by this Act, or by any rule made thereunder, to bear the signature of the competent authority, shall be deemed to be properly signed if it bears a facsimile of his signature stamped thereon.

Power to make rules

92. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session. If the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties.

93. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the State Legislature.

Power to try cases summarily

94. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973

(Act 2 of 1974), all offences under this Act shall be bailable and non cognizable and be tried in a summary way by Judicial Magistrate of the first class specially empowered in this behalf.

Provisions of Code of Criminal Procedure, 1973 to apply to this Act 95. The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), shall apply, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act.

Repeal and saving

96. (1) The Police Act, 1861 (Act 5 of 1861), in its application to the State of Haryana, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or any proceeding instituted under the Act so repealed and the rules made thereunder, shall be deemed to have been done or taken or instituted under this Act.

(3) All references in any enactments to any of the provisions of the Act so repealed shall be construed a reference to the provisions of this Act.

(4) The Punjab Police Rules framed under the Police Act, 1861 (Act 5 of 1861), as applicable to the State of Haryana, shall be deemed to have been framed under this Act till new rules are framed under this Act.

M.S.SULLAR.

Secretary to Government, Haryana, Legislative Department

भाग - I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विमाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2008

संख्या लैज. 26/2008.—दि हरियाणा पॅलीस ऐक्ट, 2007, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 22 अगस्त, 2008, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :---

2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 25

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007

पुलिस की स्थापना, विनियमन तथा प्रबन्धन, इसकी भूमिका, कर्तव्यों तथा इसकी जिम्मेदारियों को पुनः परिभाषित करने तथा पुलिसिंग, विधि के नियम प्रवतन करने, राज्य तथा जनसाधारण, अच्छे अभिशासन तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा के मामलों की उमरती हुई चुनौतियों को मददेनजर रखते हुए. कार्यकुशल, व्यावसायिक, प्रमावकारी, जिम्मेवार, लोक मैत्रीपूर्ण तथा उत्तरकारी एजेंसी के रूप में कृत्य करने के लिए इसको समर्थ बनाने हेत नई राज्य पुलिस विधि का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो --

अध्याय I

परिभाषाएं तथा व्याख्याएं

- (1) यह अधिनियम हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007, कहा जा राकता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।
 - (3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

- 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - (क) ''पशु'' के अन्तर्गत गाय, भैंस, हाथी, ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर, भेड, बकरी तथा सुअर हैं ,
 - (ख) ''आयुक्त'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन ऐसे रूप में नियुक्त किया गया पुलिस आयुक्त ;
 - (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, प्राधिकारी जो विहित किया जाए ;

319

परिभाषाएं ।

6

- (घ) "ग्रुप ग पदों" से अभिप्राय है, सुसंगत राज्य सेवा नियमों के अधीन इस प्रकार प्रवर्गीकृत पद ;
- (ङ) ''राजद्रोह' के अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र से किसी भाग के पृथक्करण सहित राजनैतिक उद्देश्य से राज्य के विरुद्ध जनसमुदाय के किसी समुदाय या किसी वर्ग द्वारा सशस्त्र संघर्ष चलाना;
- (च) ''आन्तरिक सुरक्षा'' से अभिप्राय है, राज्य के भीतर विघटनकारी तथा राष्ट्रविरोधी ताकतों से राज्य की प्रभुसत्ता तथा अखंडता का परिरक्षण ;
- (छ) ''लड़ाकू गतिविधियों' के अन्तर्गत अपने राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थों, अग्नि—शस्त्रों या अन्य घातक हथियारों या खतरनाक पदार्थ का उपयोग कर रहे किसी समुदाय की कोई हिंसा ;
- (ज) ''नगरपालिका क्षेत्र' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिमाषित क्षेत्र ;
- (झ) "संगठित अपराध" के अन्तर्गत हिंसात्मक साधन या हिंसा की धमकी का उपयोग करते हुए विधि विरुद्ध लाम उठाने के अपने सामान्य आशय के अनुसरण में व्यक्तियों के किसी समूह या किसी नेटवर्क द्वारा किया गया कोई अपराध;
- (ञ) ''पुलिस जिला' से अभिप्राय है, क्षेत्र जो इस अधिनियम के अध्याय II की धारा 10 के अधीन राजस्व जिला से मिन्न के रूप में अधिसुचित किया गया है ;
- (ट) ''लोक मनोरंजन तथा लोक आमोद–प्रमोद स्थान'' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसा स्थान ;
- (ठ) ''पुलिस अधिकारी'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुलिस सेवा का कोई सदस्य तथा इसमें राज्य संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा (आई0पी0एस0) अधिकारी भी शामिल हैं,
- (ड) ''विहित' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
- (ढ) ''सार्वजनिक स्थान'' से अभिप्राय है, कोई स्थान जिसमें जनता जा सकती हो तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं,-
 - (i) सार्वजनिक भवन, मार्केट, मॉल्ज, रेल, बस, रमारक तथा उनकी प्रसीमाएं , तथा
 - (ii) पानी खींचने, धुलाई करने या स्नान करने के लिए या मनोरंजन के प्रयोजनों हेतु जनता के लिए कोई सुगम स्थान ,

- ''विनियम'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए (ण) विनियम :
- "नियम" से अभिप्राय है. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए (प) नियम :
- "सेवा" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस (फ) सेवा ;
- "राज्य सरकार" से अमिप्राय है. प्रशासनिक विभाग में हरियाणा (ब) राज्य की सरकार ;
- ''अधीनस्थ पद'' से अभिप्राय है, पुलिस सहायक (भ) या उप अधीक्षक से नीचे के सभी पद ;
- ''आतंकवादी गतिविधि' के अन्तर्गत समाज या उसके किसी (म) वर्ग में आतंक फैलाने के उददेश्य से, तथा विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने के आशय से विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों या अग्नि-शस्त्रों या अन्य घातक हथियारो या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या खतरनाक स्वरूप के किसी अन्य पदार्थ का उपयोग कर रहे किसी व्यक्ति या किसी समुदाय की कोई गतिविधि।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु विशेष रूप से अपरिमाषित, शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम् 10), दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम् 2) तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) में दिए गए हैं ।

अध्याय II

पुलिस सेवा का गठन तथा संगठन

इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए एक पुलिस पुलिस सेवा का 3. सेवा गठित की जाएगी । किसी अन्य विधि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस सेवा के सदस्य, सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार राज्य में तथा राज्य के बाहर कहीं भी तथा राज्य में इसके किन्हीं विशिष्ट विंगों सहित सेवा की किसी शाखा में तैनाती के लिए दायी होंगे ।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधान रहते हुए,--4.

(1) पुलिस सेवा विभिन्न पदों की ऐसी संख्या तथा इसमें ऐसे संगठन या संवर्ग होंगे जो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अवधारित करे तथा इसमें राज्य को आबंटित भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य शामिल होंगे ;

(2) पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदो के लिए सीधी भर्ती संसंहिताबद्ध प्रणाली, जो इस अधिनियम के अधीन बनाई जाएगी, को अपनाते हुए

गठन ।

पलिस सेवा का संगठन तथा संरचना ।

पारदर्शी प्रकिया द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड या जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाएगी ;

(3) पुलिस कार्मिक के वेतन, भत्ते, सेवा शर्ते, भर्ती का ढंग ऐसा होगा जो समय-समय पर विहित किया जाए ;

(4) पुलिस कार्मिक सभी समयों पर विधि के लिए जिम्मेवार तथा लोगों की विधिपूर्ण आवश्यकताओं के लिए उत्तरकारी रहेगा तथा नैतिक संहिता आचरण तथा रू.यनिष्ठा का अनुपालन करेगा ।

5. (1) पुलिस सेवा के सम्पूर्ण निदेशन तथा पर्यवेक्षण के लिए, राज्य सरकार महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा, तथा ऐसी जिम्मेदारियां तथा ऐसे प्राधिकार होंगे जो विहित महानिरीक्षक, उप या सहायक महानिरीक्षक किए जाएं । की नियुक्ति।

(2) राज्य सरकार, एक या अधिक पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक तथा बहुत से पुलिस महानिरीक्षक, उप या सहायक महानिरीक्षक, जो आवश्यक हों, नियुक्त कर सकती है ।

(3) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश कर सकती है कि पुलिस अपर महानिदेशक या महानिरीक्षक या उप या सहायक महानिरीक्षक किस रीति में तथा किस सीमा तक पुलिस महानिदेशक को अपने कृत्यों का पालन करने, शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन करने में सहायता तथा मदद करेंगे।

 (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक का पद धारण करने वाले अधिकारियों में से पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक की पदावधि उसकी अधिवर्षिता की सामान्य तिथि को ध्यान में लिए बिना कम से कम एक वर्ष की होगी :

परन्तु पुलिस महानिदेशक को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित के परिणामस्वरुप कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश द्वारा उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व पद से स्थानान्तरित किया जा सकता है :

- किसी दांडिक अपराध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध (क) होने या जहां आरोप म्रष्टाचार या नैतिक अद्यमता वाले किसी वाद में न्यायालय द्वारा लगाये गये हैं ; या
- अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 या (ख) किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन दी गई सेवा से बरखास्तर्गों, पदच्युति, या अनिवार्य सेवा निवृत्ति या निम्न पद पर पदावनयन का दण्ड ; या
- शारीरिक अक्षमता या मानसिक अस्वस्थता या अन्यथा पुलिस (ग) महानिदेशक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है ; या

पुलिस महानिदेशक

का चयन तथा

पदावधि ।

महानिदेशक,

(घ) या तो राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति ।

7. (1) राज्य सरकार, यथाविहित, विधिक तथा वित्तीय मामलों पर पुलिस महानिदेशक को सहायता तथा परायर्श देने के लिए समुचित विधिक अधिकारियों तथा वित्त अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार, यथास्थिति, प्रत्येक जिला, पुलिस यूनिट तथा नगर पुलिस आयुक्तालय में उन द्वारा अन्वेषित विभिन्न मामलों में उपयुक्तता या अन्यथा से उपलब्ध साक्ष्य जो आवश्यक समझे जाएं, सहित विधिक निर्णयों तथा मामलों पर पुलिस को परामर्श देने के लिए एक या अधिक विधिक अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकती है ।

(3) उप–धारा (1) तथा (2) के अधीन अधिकारियों की नियुक्ति यथाविहित रीति में की जाएगी ।

8. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर प्रयोजन हेतु यथा अधिसूचित प्रत्येक मुख्य शहरी क्षेत्रों के लिए पुलिस प्रणाली स्थापित करेगी जो शहरी तथा उपशहरी क्षेत्रों में अपराघ, लोक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा की विशिष्ट पेचीदा समस्याओं का निपटान करने में सक्षम हो, जो दृढ़ निदेश, समादेश की एकात्मक चेन, व्यावसायिक क्षमता, वृत्तिमूलक विशिष्टतया से प्रकट होने वाली तथा निम्न रूप में जिम्मेवार वाली संयोजित विधिक प्राधिकार से शीघ तथा व्यापक उत्तर की मांग करेगी:-

नगरपालिका क्षेत्रों, मुख्य शहरी क्षेत्रों तथा अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में पुलिस का प्रशासन ।

विधिक तथा वित्त

अधिकारियों की नियुक्ति ।

- (i) राज्य सरकार किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी तथा राजपत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकती है;
- (ii) आयुक्त, ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी जिम्मेदारियां तथा प्राधिकार होंगे जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उपबंधित हैं या जो राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेशित किये जाएं

परन्तु राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि आयुक्त द्वारा प्रयोज्य किन्हीं शक्तियों, पालन किये जाने वाले किन्हीं कृत्यों तथा कर्तव्यों या निर्वहन की जाने वाली किन्हीं जिम्मेदारियों या प्राधिकार पुलिस महानिदेशक के नियन्त्रणाधीन प्रयोग की जाएंगी या निर्वहन किये जाएंगे

परन्तु यह और कि किसी क्षेत्र में जिसके लिए आयुक्त नियुक्त किया गया है तथा इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य या कर्तव्य का पालन करने के लिए सशक्त है, तो जिलाधीश किसी तथ्य के होते हुए भी कि ऐसा क्षेत्र जिलाधीश की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर जिले का भागरूप है, उसी शक्ति का प्रयोग या उसी कृत्य या कर्तव्य का पालन नहीं करेगा ।

323

9. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को एक या अधिक पुलिस रेंजों में विभाजित कर सकती है । दो या अधिक पुलिस जिलों को समाविष्ट करके, प्रत्येक रेंज की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक की पदवी के किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी जो रेंज के पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करेगा तथा पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा ।

10. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को पुलिस जिला के रूप में घोषित कर सकती है। ऐसे सम्पूर्ण जिले में पुलिस प्रशासन जिले के पुलिस अधीक्षक में निहित होगा जो बहुत से पुलिस अपर अधीक्षक, सहायक अधीक्षक या उप अधीक्षक, जो आवश्यक समझे जाएं तथा अधिसूचित किए जाते हैं, से सहयोग ले सकता है ।

11. (1) अपराध की किसी विशेष श्रेणी पर विचार करने या अपराध पीड़ितों सहित स्वच्छन्द समाज को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी की अध्यक्षता में जो निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो प्रत्येक पुलिस जिले में एक या अधिक विशेष कक्ष सृजित कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पुलिस सहायक या उप अधीक्षक की पदवी के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक पुलिस जिले को बहुत से उप--मण्डलों में जो आवश्यक समझे, विमाजित कर सकती है ।

12. (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की सिफारिश पर तथा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा. जनसंख्या, क्षेत्र, अपराध हालात, कानून तथा व्यवस्था के निबंधनों के अनुसार में कार्य की अधिकता तथा पुलिस थानों में पहुंचने के लिए निवासियों द्वारा बाधित पथ वाली दूरियों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, किसी जिला पुलिस में बहुत सी पुलिस चौकियाँ जो आवश्यक समझी जाएं, सहित बहुत से पुलिस थाने जो आवश्यक हों, सृजित कर सकती है ।

(2) प्रत्येक पुलिस थाने की अध्यक्षता स्टेशन हाऊस आफिसर जो पुलिस उप निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, द्वारा की जाएगी ।

(3) प्रत्येक पुलिस थाना में समुचित संख्या की अपराध अन्वेषण यूनिट होगी ।

(4) किसी जिले का पुलिस अधीक्षक, पुलिस की कार्य-प्रणाली में सहायता तथा परामर्श करने के लिए समाज सेवा में कमजोर वर्गों तथा निर्दोष चरित्र तथा पूर्वचरित तथा अभिरुचि वाली महिलाओं के प्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्थानीय निवासियों को शामिल करते हुए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए यथाविहित समाज सम्पर्क ग्रुप गठित कर सकता है ।

13. (1) किसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक या किसी जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किसी अधिकारी की अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी :

परन्तु किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कम से कम विहित सेवा अवधि की समाप्ति से पूर्व उसके पद से निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हटाया जा सकता है :

शीर्ष पुलिस अधिकारियों की पदावधि ।

उप–मण्डल ।

जिला स्तरीय विशेष कंक्ष तथा

पुलिस रेंज का

जिला पुलिस ।

মৃতান |

पुलिस थाने ।

324

(क) किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति ; या

Ĺ

- (ख) विधि न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध में दोषसिद्ध, या आरोप लगाये गये हों , या
- (ग) सुसंगत अनुशासन तथा अपील नियमों के अधीन दी गई सेवा से बरखास्तगी, पदच्युति, सेवोन्मुक्ति या अनिवार्य सेवा–निवृत्ति या किसी निम्न पद पर पदावनयन का दण्ड ; या
- (घ) उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा से निलम्बन , या
- (ङ) शारीरिक अक्षमता या मानसिक अस्वस्थता या अन्यथा से अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो गया है ; या
- (च) पदोन्नति, स्थानान्तरण, या सेवा--निवृत्ति के कारण किसी रिक्ति को भरने की आवश्यकता।

(2) आपवादिक मामलों में किसी अधिकारी को सकल अक्षमता तथा उपेक्षा या जहां प्रारम्भिक जांच के बाद प्रथम दृष्टया में घोर प्रकृति का मामला सिद्ध हो गया है के लिए उसकी सेवा–अवधि की समाप्ति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पद से स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

14. (1) जिले के सामान्य प्रशासन में दक्षता के प्रयोजन के लिए, जिले का जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक जिले के जिलाधीश या उपायुक्त के साथ उचित समन्वयन बनाए से समन्वयन । रखेगा । जिलाधीश के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों के अतिरिक्त, निम्नलिखित से संबंधित मामलों के बारे में जिला प्रशासन के अन्य अभिकरणों के साथ पुलिस कार्यप्रणाली का समन्वय तथा निदिष्ट करे :--

- (क) भूमि सुधारों को बढावा देना तथा भूमि विवादों का निपटान करना ;
- (ख) जिले में लोक शान्ति तथा प्रशान्ति की व्यापक बाधा ;
- (ग) किसी लोक निकाय के निर्वाचन करवाना ;
- (घ) प्राकृतिक आपदाओं को नियन्त्रित करना तथा उनसे प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करना ;
- (ङ) किसी बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति से उत्पन्न परिस्थितियां ;
- (च) कोई ऐसा ही मामला जो किसी एक विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तथा जनता के आम कल्याण को प्रभावित कर रहा है ;
- (छ) किसी चिरस्थाई जन शिकायत का निराकरण ; तथा
- (ज) साम्प्रदायिक या जाति टकराव।

(2) समन्वयन के प्रयोजन के लिए, जिलाधीश जिले का पुलिस अधीक्षक तथा जिले के अन्य विमागों के मुखियों से, जब भी अपेक्षित हो साधारण या विशेष प्रकृति की सूचना मांग सकता है । जहां परिस्थितियों की ऐसी मांग हो, वहां जिलाधीश समन्वयन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा तथा लिखित में निदेश जारी करेगा ।

(3) समन्वयन के प्रयोजन के लिए, जिलाधीश सुनिश्चित करेगा कि जिले के सभी विभाग, जिनकी सहायता पुलिस की दक्ष कार्यप्रणाली के लिए अपेक्षित है, जिले के पुलिस अधीक्षक को पूर्ण सहयोग करें ।

रेलवे पुलिस 📘

15. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में ऐसी रेलवे लाइनों तथा अन्य रेलवे क्षेत्रों जैसा अधिसूचित करे, को समाविष्ट करते हुए रेलवे पुलिस उपमण्डलों तथा रेलवे पुलिस थानों की अपेक्षित संख्या के साथ एक या अधिक विशेष रेलवे पुलिस जिले सृजित कर सकती है, तथा यथाविहित रीति में ऐसे जिले की पुलिसिंग के लिए पुलिस अधीक्षक, एक या अधिक पुलिस सहायक तथा उप अधीक्षक तथा ऐसे अन्य पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है या उनके क्षेत्र के मीतर रेलवे लाइनों तथा अन्य रेलवे स्थापनाओं में पुलिस के लिए प्रत्येक जिला पुलिस में एक या अधिक पुलिस थाने अधिसूचित कर सकती है ।

(2) यथा अधिसूचित पुलिस थाने यथाविहित रीति में उनकी अधिकारिता में आने वाले रेलवे लाइन क्षेत्र तथा अन्य रेलवे क्षेत्र में, उनके क्षेत्र से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में अपराध के निवारण, पता लगाने तथा अन्वेषण, विधि का प्रवर्तन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेवार होंगे ।

16. राज्य पुलिस, आसूचना के संग्रहण, समाकलन, विश्लेषण तथा प्रचारण के लिए राज्य आसूचना विंग तथा आपराधिक आसूचना के संग्रहण, समाकलन तथा विश्लेषण के लिए तथा अन्तर्राज्यिक, अन्तर जिले बहुशाखन, मुख्य आर्थिक अपराधों, साइबर अपराध तथा यथाविहित घोर प्रकृति के अन्य मामलों के साथ जघन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्रथक राज्य अपराध अन्वेषण विंग रखेगी ।

17. (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के अधीन जो पुलिस सेवा की दक्षता को उन्नत करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, ऐसे विशिष्ट तथा तकनीकी अभिकरण तथा सेवाएं सजित करेगी तथा बनाए रखेगी ।

(2) इस प्रकार सृजित सेवाओं में राज्य स्तर पर पूर्ण विकसित न्यायालयिक प्रयोगशाला, तथा अंगुली छाप ब्यूरो, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, दूर–संचार विंग तथा समय–समय पर यथा अपेक्षित ऐसी अन्य स्थापनाएं शामिल होंगी । पुलिस महानिदेशक संविदात्मक आधार पर इस प्रयोजन के लिए अर्हित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की सेवाएं किराए पर ले सकता है या लगा सकता है ।

(3) राज्य पुलिस के पास राज्य में पुलिसिंग तथा अपराध से संबंधित विशिष्ट अध्ययनों को प्रारम्भ करने के लिए अनुसंधान विंग होगा । पुलिस महानिदेशक संविदात्मक आधार पर इस प्रयोजन के लिए अर्हित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की सेवाएं किराए पर ले सकता है या लगा सकता है ।

18. (1) राज्य सरकार राज्य स्तर पर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी तथा बहुत से पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जो अनेक पदों पर सीधी भर्ती के सभी पुलिस कार्मिकों के दक्ष प्रवेश प्रशिक्षण, उन सभी की उच्चतर स्तरों पर पदोन्नति के लिए पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण तथा समय-समय पर यथा अपेक्षित विभिन्न

राज्य आसूचना तथा आपराधिक अन्वेषण विंग।

तकनीकी तथा सहायता सेवा।

पुलिस प्रशिक्षण ।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 28, 2008 (BHDR. 6, 1930 SAKA)

पदों तथा प्रवर्गों के पुलिस कार्मिकों के लिए सेवा में ऐसे अन्य साधारण तथा विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यकमों को सनिश्चित करने के लिए, आवश्यक समझे, स्थापित करेगी ।

(2) राज्य सरकार, नियमों द्वारा उपयुक्तता, शैक्षणिक योग्यताए, वृत्तिक सक्षमता, अनुमव तथा सत्यनिष्ठा का सम्यक् रूप से ध्यान रखते हुए सचेत चयन के बाद ऐसी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, महाविद्यालय तथा विद्यालय में पुलिस सेवा, या असैनिक बलों या सशस्त्र बलों या अन्य वृत्तिक संगठनों से अधिकारियों की समुचित संख्या की नियुक्ति के लिए भी उपबन्ध करेंगी । राज्य सरकार ऐसे प्रशिक्षण संस्थाओं की संकायों की सेवा में सर्वोत्तम सहजप्राप्त प्रतिभा को आकृष्ट करने तथा बनाए रखने के लिए धन संबंधी तथा अन्य प्रोत्साहनों की स्कीम तैयार करेगी ।

(3) कोई भी पुलिस अधिकारी यथाविहित कोई बुनियादी प्रशिक्षण लिए तथा पास किए बिना डयूटी पर अमिनियोजित नहीं किया जाएगा । कोई भी पुलिस अधिकारी यथाविहित पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण लिए तथा पास किए बिना किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत नहीं किया जाएगा ।

19. इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस सेवा का प्रत्येक सदस्य, पुलिस कार्मिक द्वारा नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के पूरा होने पर, जिले के पुलिस अधीक्षक या आयुक्त, जैसी भी शपथ या प्रतिज्ञान । स्थिति हो, या उस द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी दूसरे अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष यथाविहित शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

20. (1) निरीक्षक की या से नीचे की पदवी का प्रत्येक पुलिस अधिकारी नियुक्ति नियुक्ति प्रमाण--पत्र । पर यथाविहित रूप में पदचिहन तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगा । प्रमाण-पत्र ऐसे अधिकारी, जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निविष्ट करे, के हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित जारी किया जाएगा ।

(2) नियुक्ति प्रमाण–पत्र अकृत और शून्य हो जाएगा, तथा पदचिहन वापस लिया गया समझा जाएगा जब-जब उसमें नामित व्यक्ति सेवा का अंग नहीं रहता है या अवधि जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति सेवा से निलंबित किया गया हो अकार्यसाधक रहेगा ।

21. (1) जिले का पुलिस अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुदा सहित जारी किसी लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय 18 तथा 50 वर्ष की आयु के बीच का कोई समर्थांग, शिक्षित तथा इच्छुक व्यक्ति, जिसे वह सेवा सहयोग देने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में उपयुक्त समझे नियुक्ति आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है ।

(2) इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी--

नियुक्ति पर, विहित प्रशिक्षण लेगा तथा उसके बाद राज्य (क) सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित प्ररूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा ;

विशेष पुलिस अधिकारी ।

- (ख) वही शक्तियां, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा रखेगा तथा उन्हीं कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के लिए दायी होगा तथा सामान्य पुलिस अधिकारी के रूप में उन्हीं प्राधिकारियों के अध्यधीन होगा ,
- (ग) अवैतनिक स्वरूप का होगा। तथापि, राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा, ऐसे विशेष पुलिस अधिकारियों को मुगतान किए जाने वाले मानदेय विहित कर सकती है;
- (घ) जो कोई विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने से इनकार करता है या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, दो'ं सिद्ध पर, किसी न्यायालय द्वारा कम से जम्म एक हजार रुपए के जुर्माने के लिए दायी होगा ।

22. सेवा में ऐसी पदवियां तथा पद होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित या अधिसूचित किए जाएं । सेवा के अनेक पदों की भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति, आचार संहिता, अनुशासन, दण्ड तथा अपील तथा अन्य सेवा नियमों के अनुसार होंगी ।

23. विधि के प्रवर्तन तथा व्यवस्था बनाए रखने में या शांति के मंग होने की सम्भावना की परिस्थितियों में तथा महाविपदा प्रबन्धन कृत्यों में, कैदियों के एस्कार्ट में, सिविल पुलिस की सहायता करने के लिए, तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों जो विशेष शस्त्र तथा रणनीतिक टीम या आर्मड पुलिस की उपस्थिति के लिए अपेक्षित हों का निर्वहन करने हेतु, राज्य सरकार प्रत्येक पुलिस जिले के लिए आर्मड पुलिस रिजर्व के रूप में समुचित जन शक्ति संख्या सहित आर्मड पुलिस यूनिट या विशेष आर्मड पुलिस यूनिट तथा राज्य के लिए आर्मड पुलिस बटालियन की समुचित संख्या सृजित करेगी । ऐसी रिजर्व तथा बटालियनों का गठन, मर्ती, प्रशिक्षण, अभिनियोजन तथा प्रशासन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगा ।

अध्याय III

पुलिस का अधीक्षण तथा प्रशासन

24. राज्य पुलिस का अधीक्षण इस अधिनियम तथा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार में निहित होगा तथा द्वारा किया जाएगा ।

25. राज्य सरकार, इस अधिनियम के लागू होने के तीन मास के भीतर, इस - अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य पुलिस बोर्ड स्थापित करेगी जो इसको समनुदेशित कृत्य करेगा।

26. (1) राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा :---

(क) मुख्य मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में ;

(ख) गृह मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में :

सिविल तथा सशस्त्र पुलिस मे पद सरचना।

जिला आर्मड रिजर्व तथा राज्य आर्मड पुलिस बटालियन ।

ारकार में निहित करनाः ।

राज्य पुलिस का अधीक्षण राज्य

राज्य पुलिस बोर्ड ।

बोर्ड की संरचना ।

328

- (ग) राज्य विधानसमा में विपक्ष का नेता ;
- (घ) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या महाधिवक्ता, हरियाणा
- (ङ) मुख्य सचिव ;

÷

- (च) गृह विमाग का भारसाधक सचिव ;
- (छ) पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य--सचिव के रूप में ;
- (ज) प्रशासन, विधि प्रवर्तन तथा सुरक्षा से संबंधित मामलों में उच्च सत्यनिष्ठा, निपुणता तथा सक्षमता के तीन गैर–राजनैतिक व्यक्ति (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, 'निरपेक्ष सदस्यों' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे। इनमें से, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी तथा एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी होगा। तीसरा सदस्य राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा, विधि व्यवसाय या सामाजिक संगठनों के क्षेत्र से उस क्षेत्र में कम–से–कम पन्द्रह वर्षों के अनुभव सहित नामनिर्देशित किया जाएगा ।

टिप्पण – निरपेक्ष सदस्य अवैतनिक सदस्य होंगे ।

(2) कोई भी सेवारत सरकारी कर्मचारी निरपेक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(3) राज्य पुलिस बोर्ड में कोई रिक्ति स्थान रिक्त होने के बाद यथासाध्य शीघ्रता से भरी जाएगी :

परन्तु यदि कोई गृह मंत्री न हो तब मुख्य मंत्री किसी अन्य मंत्री को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित कर सकता है ।

27. राज्य पुलिस बोर्ड के निरपेक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला निरपेक्ष सदस्यों की व्यक्ति—

- (क) भारत का नागरिक होगा ;
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक होगा ;
- (ग) किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हो या जिसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय में आरोप नहीं लगाए गए हों;
- (घ) भ्रष्टाचार या कदाचार के आधार पर सेवा से पदच्युत या हटाया न गया हो या अनिवार्य सेवानिवृत्त न किया गया हो ; तथा

(ङ) विकृतचित्त नहीं होगा ।

28. कोई व्यक्ति निरपेक्ष सदस्य के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त निरपेक्ष सदस्यों किया जाएगा । उसी व्यक्ति को लगातार दो से अधिक अवधियों के लिए नियुक्त नहीं ^{की पदावधि} । किया जाएगा ।

29. (1) कोई निरपेक्ष सदस्य राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड से निरपेक्ष सदस्यों को निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है-हटाना ।

- (क) अक्षमता साबित होने ; या
- (ख) दुर्व्यवहार साबित होने ; या
- (ग) शारीरिक या मानसिक दूर्बलता के कारणों से अक्षम होने या अन्यथा सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन करने में असमर्थ होने।

(2) उप–धारा (1) में वर्णित आधारों के अतिरिक्त, निरपेक्ष सदस्य राज्य पुलिस बोर्ड से हटा दिया जाएगा यदि वह धारा 27 के अधीन विनिर्दिष्ट अपात्रता के किन्हीं आधारों ने ग्रस्त है ।

30. राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात:--

राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्य ।

- इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों तथा जिम्मेदारियों के (क) निर्वहन में राज्य सरकार की सहायता करना तथा सलाह देना;
- विधि के अनुसार दक्ष, प्रमावकारी, उत्तरकारी तथा जिम्मेवार (ख) पुलिसिंग को उन्नत करने के लिए स्थूल नीति मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना : तथा
- राज्य में सेवा के संघटनात्मक पालन की समीक्षा तथा मूल्यांकन (ग) करना ।

निरपेक्ष सदस्य के भत्ते तथा यात्रा के मद्दे व्यय राज्य सरकार द्वारा 31. राज्य पुलिस बोर्ड के यथाविहित रीति में वहन किए जाएंगे । व्यय ।

32. (1) सम्पूर्ण राज्य में राज्य पुलिस का प्रशासन पुलिस महानिदेशक में तथा राज्य पुलिस का ऐसे पुलिस अपर महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक तथा अन्य प्रशासने | पुलिस अधिकारियों, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए जाएं, में निहित होगा।

> (2) जिले में पुलिस का प्रशासन जिले के पुलिस अधीक्षक में निहित होगा :

परन्तु राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक; या विहित नियमों, विनियमों के अनुसार केवल किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रशासन की शक्तियों के प्रयोग में या अति-आवश्यक लोक हित वाली आपवादिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती 常し

33. विभाग के मुखिया के रूप में, पुलिस महानिदेशक की निम्नलिखित पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारियां होंगी--शक्तियां तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पालिसियां तथा कोई कार्य योजना जिम्मेदारियां । (क)

परिचालन करने ; तथा

330

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 28, 2008 (BHDR. 6, 1930 SAKA)

(ख) उनकी कार्यकुशलता, प्रभावकारिता, उत्तरकारिता तथा जिम्मेवारी को सुनिश्चित करने के लिए सेवा का प्रशासन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करने ।

34. (1) राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक को इसके अध्यक्ष के रूप में तथा पुलिस स्थापना प्रशासकीय मामलों के लिए सदस्यों के रूप में राज्य के पुलिस संगठन के भीतर तैनात समिति । दो अन्य वरिष्ठतम अधिकारियों को जो पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे के न हों सहित पुलिस स्थापना समिति (जिसे, इसमें, इसके बाद, "स्थापना समिति" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) गठित कर सकती है ।

(2) स्थापना समिति सेवा में अवसंरचना सुविधाओं, व्यावसायिकता, सामान्य अनुशासन, पुलिस कार्मिक के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, कल्याण तथा राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कार्य को उन्नत करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी ।

अध्याय IV

लोक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतियों के सन्दर्भ में पुलिसिंग

35. पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, समूचे राज्य के लिए आन्तरिक सुरक्षा तथा क्षेत्र में यथा विनिर्दिष्ट राज्य की लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा की समस्याओं पर ^{स्कीम} । विचार करने के लिए प्रत्येक जिलों तथा अधिसूचित शहरी क्षेत्रों के लिए आन्तरिक सरक्षा स्कीम तैयार करेगा ।

आन्तरिक सुरक्षा स्कीम पुलिस द्वारा, स्वतंत्र रूप से या प्रत्येक प्रकार की 36. समस्याओं के परिणाम से पूर्व, के दौराने , तथा की अवधि में अन्य सम्बद्ध एजेंसियों के समन्वयन में, की जाने वाली कार्रवाई के लिए नियमित रूप से आधुनिकीकरण तथा व्यापक मानक परिचालन प्रक्रिया को सम्मिलित करेगी ।

37. यदि और जब किसी क्षेत्र में राज्य की सुरक्षा को विद्रोही, किसी आतंकपूर्ण या लड़ाकू कार्यवाही या किसी संगठित अपराध समूह की कार्यवाहियों द्वारा धमकी दी जाती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को विशेष सुरक्षा जोन के रूप में घोषित कर सकती है :

परन्तू ऐसी अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर, या विधानमण्डल की प्रथम बैठक, जो भी पहले हो, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखी जाएगी ।

38. राज्य सरकार प्रत्येक विशेष सुरक्षा जोन के लिए, समुचित पुलिस ढांचा पुलिस ढांचा। तथा उपयुक्त समादेश, नियंत्रण तथा उत्तर-प्रत्युतर प्रणाली सुजित करेगी ।

39. राज्य सरकार, प्रशासन के विभिन्न विंगों के समन्वित कार्य को सुनिश्चित विभिन्न विंगों के करने के लिए, प्रत्येक विशेष सुरक्षा जोन में, उपयुक्त प्रशासकीय, ढांचा स्थापित करेगी कार्य । जो लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए पुलिस

मानक परिचालन प्रक्रिया का आधूनिकीकरण ।

विशेष सुरक्षा जोन का सुजन।

331

उत्तर-प्रत्युतर के साथ क्षेत्र में प्रशासकीय तथा विकासात्मक उपायों का समाकलन करेगी।

40. पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार की सहमति से, विशेष सुरक्षा ज़ोन में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रियाओं को अधिकथित करते हुए, आदेश जारी करेगा ।

41. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की सिफारिश पर, तथा ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, विशेष सुरक्षा जोन में किन्हीं यन्त्रों, या उपकरण, या किसी विस्फोटक, विषाक्त, रसायन, जैविक या विघटनाभिक वस्तुओं या पदार्थों का उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, स्वामित्व या प्रवेश पर, या निधियों के किसी अन्तर्वाह पर पाबन्दी लगा सकती है या विनियमित कर सकती है, यदि विशेष सुरक्षा जोन में ऐसे यन्त्रों, या उपकरण, या किसी विस्फोटक, या विषाक्त, रसायन, जैविक या विघटनामिक वस्तुओं या पदार्थों, या निधियों के किसी अन्तर्वाह का उपयोग करने से, क्षेत्र में किसी रीति में, आन्तरिक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए युक्तियुक्त धमकी मानी जाती है।

42. राज्य सरकार, राज्य के मीतर आने वाले किसी विशेष सुरक्षा जोन के लिए, व्यक्तियों या संगठनों की कार्यवाहियों को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है, जो आन्तरिक सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर समाघात रख सकते हों।

अध्याय V

वास्तविक अपराध अन्वेषण

43. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में, आर्थिक तथा जधन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए, अधिकारियों तथा स्टाफ की उचित संख्या सहित किसी अधिकारी, जो पुलिस निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, की अध्यक्षता में, विशिष्ट अपराध अन्वेषण यूनिट सृजित करेगी। इस यूनिट में तैनात कार्मिक पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुज्ञा से बहुत विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन के सिवाय, किसी अन्य ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा।

44. विशिष्ट अपराध अन्वेषण यूनिटों में तैनात अधिकारी उनकी योग्यता, व्यावसायिक क्षमता तथा सत्यनिष्ठा के आधार पर चयनित किए जाएंगे। उनकी व्यावसायिक निपुणताएं, अन्वेषण तकनीकों, विशिष्टतया अन्वेषण तथा न्यायालयिक तकनीकों के लिए वैज्ञानिक सहायताओं के उपयोजन में विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से, समय-समय पर, उन्नत की जाएंगी।

45. विशेष अपराध अन्वेषण यूनिटों में तैनात अधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा यूनिट को विशेष रूप से सौंपे गए किन्हीं अन्य मामलों के सिवाय, अपराध जैसे कि हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूट--मार, दहेज से संबंधित अपराध, घोखेबाजी के संगीन मामले, गबन तथा अन्य आर्थिक अपराध, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किए जाएं, का अन्वेषण करेंगे।

46. अन्वेषणों के दौरान अन्वेषण अधिकारी को आवश्यक विधिक तथा विधिक तथा न्यायालयिक न्यायालयिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सलाह।

जिला पुलिस द्वारा

अपराधों का

अन्वेषम ।

अन्वेषण।

अधिकारियों का

चयन ।

नियम बनाना।

332

मानक परिचालन

कतिपय यंत्रों तथा

पदार्थों की पाबंदी

तथा विनियमन।

प्रक्रिया ।

अध्याय VI

पुलिस की भूमिका, कृत्य, कर्तव्य तथा जिम्मेदारी

47. पुलिस की भूमिका तथा कृत्य विस्तृत रूप में निम्नलिखित होंगे,-

(क) अपराधों को रोकना तथा का पता लगाना ;

- (ख) जीवन तथा सम्पत्ति का संरक्षण करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना;
- (ग) लोक व्यवस्था बनाए रखना ;
- (ध) विपत्ति में या प्राकृतिक से उत्पन्न होने वाली या मनुष्य द्वारा बनाई गई आपदाओं की परिस्थितियों में लोगों को समव सहायता प्रदान करना ;
- (ङ) लोगों तथा वाहनों के क्रमवार संचलन को सुसाध्य बनाना ;
- (च) राज्य की लोक शांति, अपराध, सामाजिक समन्वय तथा सुरक्षा से प्रमावित मामलों से संबंधित आसूचना एकत्रित करना तथा उचित कार्रवाई करना ,
- (छ) समस्त अदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेना तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई करना ;
- (ज) लोक न्यूसेंस को रोकना तथा नियंत्रित करना ;
- (झ) विधि द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना ।

48. कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विधि द्वारा या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी के विधिपूर्ण आदेश द्वारा समनुदेशित कोई कर्तव्य कर सकता है तैंध्रा उसकी अपनी कार्रवाई द्वारा अधीनस्थ या कोई व्यक्ति जो उसके समादेश अथवा प्राधिकार के अधीन विधिपूर्वक कार्य कर रहा है, की किसी कार्रवाई में सहायता कर सकता है, संपूरक कर सकता है, के स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर सकता है या रोक सकता है, जब कभी उसे विधि को सम्पूर्ण या सुविधाजनक प्रमाव देने के लिए या उसके किसी अतिलंघन से बचने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्य करना।

पुलिस अधिकारियों का डायरी रखना ।

49. (1) पुलिस स्टेशन के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे रूप में सामान्य डायरी रखे जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विहित की जाए तथा उसमें सभी शिकायत तथा लगाए गए आरोप, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ताओं के नाम, उनके विरुद्ध आरोपित अपराध, हथियार या माल जो उनके कब्जे से या अन्यथा लिया गया है तथा गवाहों के नाम जिनके ब्यान लिए गए हों, अभिलिखित करेगा ।

(2) प्रत्येक पुलिस स्टेशन ऐसे अभिलेख रजिस्टर, प्ररूप तथा विवरणियां, जो विहित की जाएं, रखेगा । भूमिका, कृत्य तथा कर्तव्य । (3) पुलिस महानिदेशक, अपराध के निवारण तथा पता लगाने, व्यवस्था बनाए रखने, कर्तव्यों के पालन, पुलिस सेवा के प्रशासन तथा प्रबन्धन से संबंधित, विवरणियों, रिपोर्टों तथा कथनों को विनिर्दिष्ट कर सकता है ।

अध्याय VII

विनियम, नियन्त्रण तथा अनुशासन

विनियम ।

50. पुलिस महानिदेशक निम्नलिखित के संबंध में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से अनसंगत विनियम बनाने या आदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा,--

- (क) अपराध का निवारण तथा अन्वेषण ;
- (ख) कानून व्यवस्था बनाए रखने ;
- (ग) पुलिस संगठन का तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य का विनियमन तथा निरीक्षण करने ;
- (घ) अस्त्र--शस्त्र तथा गोलाबारूद को जारी तथा उपयोग को विनियमित करने;
- (ङ) वर्दी पहनने ;
- (च) पुलिस सेवा के सदस्यों के निवास-स्थान विहित करने ;
- (छ) पुलिस प्रशासन या पुलिस कार्मिक के कल्याण संबंधी प्रयोजन के लिए किसी गैर--सरकारी निधि का संस्थापन, प्रबन्धन तथा विनियमन;
- (ज) पुलिस के विनियमन, अमिनियोजन, संचलन तथा अवस्थापन करने ;
- (झ) सभी पदों तथा ग्रेडों के अधिकारियों को कर्तव्य समनुदेशित करने तथा रीति तथा शर्तें जिनके अध्यधीन, वे अपनी–अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, विहित करने ;
- (ञ) पुलिस द्वारा आसूचना तथा सूचना का संग्रहण तथा सम्प्रेषण विनियमित करने;
- (ट) विभिन्न पुलिस यूनिटों तथा अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख रजिस्टर तथा प्ररूप तथा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां विहित करने
- (ठ) सामुदायिक पुलिसिंग करने ;
- (ड) पुलिस स्टेशनों तथा अन्य यूनिटों के कृत्य करने ;
- (ढ) पुलिस बल का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रबन्धन करने ;
- (ण) सामान्यतया, इस अधिनियम के प्रशासन के प्रयोजन के लिए तथा पुलिस को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए तथा उनके द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग या कर्तव्यों की उपेक्षा करने से रोकने
- (त) पुलिस प्रशासन का कोई पहलू जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन नहीं आता है, को सम्मिलित करने ।

51. प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर माना जाएगा तथा राज्य के किसी भाग में या राज्य से बाहर किसी भी समय अभिनियोजित किया जा सकता है ।

52. कोई भी पलिस अधिकारी उचित प्राधिकार के बिना अपने कर्तव्यों का अधित्याग या तैनाती या अभिनियोजन के अपने स्थान से स्वयं को प्रत्याहृत नहीं करेगा ।

व्याख्या.-- कोई अधिकारी, जो युक्तियुक्त कारण के बिना प्राधिकत अवकाश की समाप्ति के बाद अनुपस्थित रहता है, तो वह इस धारा के अर्थ के भीतर अपने पद के कर्तव्यों से स्वयं को प्रत्याहत करता हुआ समझा जाएगा ।

53. कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से अन्यथा लाम के पद पर किसी अन्य नियोजन या लाम का पद जो मी हो, पर नियुक्त नहीं होगा ।

54. जो कोई, जानबुझकर कोई कार्य करवाता है या करवाने का प्रयास करता है या करता है जिससे विधि द्वारा स्थापित सरकार की ओर, पुलिस बल के सदस्यों के बीच, राजद्रोह होने की संमावना है, या कोई कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है या करने का प्रयास करता है या करता है जिसमें उसकी सेवा रोकने के लिए या अनुशासन मंग करने के लिए पुलिस बल के किसी सदस्य को उत्प्रेरित करने की सम्पावना है, ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है, या जूर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

व्याख्या.-- विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनके परिवर्तन प्राप्त करने के दृष्टिगत सरकार के उपायों की अस्वीकृति या सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति की अभिव्यक्ति इस धारा के अधीन तब तक अपराध नहीं बनेगी जब तक वे राजद्रोह नहीं करते या करने के प्रयोजन के लिए नहीं किए जाते हैं या करना संमाव्य नहीं 含日

55. (1) पुलिस बल का कोई भी सदस्य, राज्य सरकार की अभिव्यक्त स्वीकृति के बिना--

- (ক) किसी व्यापार संघ, श्रम संघ, राजनैतिक संगम या व्यापार संघों, श्रम संघों या राजनैतिक संगमों की किसी श्रेणी का सदस्य नहीं होगा या से किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं होगा ;
- कोई अन्य सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन जिसका वह सदस्य (ख) है बल के भाग के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं है या पूर्णतया सामाजिक, मनोरंजनात्मक या धार्मिक प्रकृति का नहीं है, का सदस्य नहीं होगा या से किसी भी रूप में सहयूक्त नहीं होगा, अथवा
- प्रैस से सम्पर्क नहीं करेगा या किसी पुस्तक, पत्र या अन्य (ग) दस्तावेज का प्रकाशन नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा सिवाय जहां ऐसा सम्पर्क या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में है या पूर्णतया साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक स्वरूप का है या विहित स्वरूप का है।

पलिस अधिकारियों का सदैव डयटी पर रहना ।

कर्तव्यों का अधित्याग ।

नियोजन।

राजदोह करने के लिए शास्ति ।

संगम बनाने वाक स्वातेन्त्रय के अधिकार के विषय में प्रतिबन्ध ।

व्याख्या.--यदि इस उप--धारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन पूर्णतया सामाजिक, मनोरंजनात्मक या धार्मिक स्वरूप का है, के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

(2) पुलिस बल का कोई भी सदस्य किसी राजनैतिक प्रयोजन के लिए या यथाविहित ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा आयोजित किसी बैठक में भाग नहीं लेगा, या सम्बोधित नहीं करेगा या किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा ।

शास्ति ।

56. कोई व्यक्ति जो धारा 41 तथा 55 के उपबंधों का उल्लंघन करता है कोई अन्य कार्रवाई जो उसके विरुद्ध की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रमाव डाले बिना, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकता है या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

57. किन्हीं आदेशों के अध्यधीन जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, हरियाणा राज्य पुलिस बल का सदस्य किसी अन्य राज्य के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा इस प्रकार ऐसे कृत्यों के निर्वहन करते समय वह उस राज्य के पुलिस बल के सदस्य के रूप में समझा जाएगा तथा उस राज्य के पुलिस बल से संबंधित पुलिस अधिकारी की शक्तियों, कृत्यों तथा विशेषाधिकारों से निहित होगा तथा दायित्वों के अध्यधीन होगा ।

58. जहां हरियाणा राज्य पुलिस बल की कोई टुकड़ी किसी अन्य राज्य के किसी भाग में चाहे स्वतंत्र रूप से सेवारत है या उस अन्य राज्य के पुलिस बल के साथ सेवारत है, तब उक्त टुकड़ी का प्रत्येक सदस्य, उस अन्य राज्य में पुलिस अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करते समय अनुशासन के संबंध में उन्हीं विधियों के अध्यधीन रहेगा, यदि वह हरियाणा राज्य के भीतर उन कृत्यों का निर्वहन कर रहा था जो उसको लागू हुई होती ।

अध्याय VIII

पुलिस की जिम्मेवारी

59. राज्य सरकार, इस अधिनियम के लागू होने के तीन मास के मीतर, राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करेगी, जो राज्य के पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच--पड़तालों तथा अन्वेषणों के लिए या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त सिविल सेवक जो राज्य के सचिव की पदवी से नीचे का न हो या आपराधिक कानून के विषय में अति कुशल तथा सुसंगत क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष के अनुभव सहित कोई अधिवक्ता होगा ।

60. कोई व्यक्ति प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अपात्र होगा,

अपात्रता ।

यदि वह —

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ।

पुलिस अधिकारी राज्य जिसका वह निवासी है से बाहर नियोजन ।

सेवा का सदस्य जब राज्य के बाहर सेवारत है को राज्य की अनुशासनिक विधियों का विस्तारण ।

- (क) भारत का नागरिक नहीं है ;
- (ख) सत्तर वर्ष की आयु से अधिक का है ;
- (ग) लोक सेवक के रूप में नियोजित है ;
- (घ) कोई निर्वाचित पद धारण करता है, जिसमें संसद या राज्य विधानमण्डल या किसी स्थानीय निकाय का सदस्य भी शामिल है ;
- (ङ) किसी विद्यमान विधि के अधीन विधिविरुद्ध के रूप में घोषित किसी संगठन का सदस्य है या किसी प्रकार उससे सहयक्त है ;
- (च) किसी राजनैतिक पार्टी का पदधारी या सदस्य है ;
- (छ) नैतिक अद्यमता वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिए या एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले किसी दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध हो गया है;
- (ज) उपरोक्त खण्ड (छ) में वर्णित किसी अपराध के लिए अभियोजन का सामना कर रहा है तथा जिसके विरुद्ध किसी विधि न्यायालय द्वारा आरोप लगाये गये हैं, या
- (झ) विकृतचित का है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ।

61. (1) प्राधिकरण की पदावधि तीन वर्ष की होगी जब तक-

प्राधिकरण की पदावधि तथा शर्ते ।

337

- (क) वह उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी मी समय त्यागपत्र नहीं देता है ; या
- (ख) वह धारा 62 में वर्णित किन्हीं आधारों पर पद से हटाया नहीं जाता है

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समझा जाए तो द्वितीय पदावधि के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है ।

(2) प्राधिकरण का पारिश्रमिक, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्ते ऐसी होंगी जो समय---समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित की जाए तथा नियुक्ति के बाद उसके लिए परिवर्तित नहीं की जाएंगी ।

62. प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा प्राधिकरण को हटाया सकता है--

- (क) कदाचार या दुर्व्यवहार साबित होने पर ,
- (ख) कर्तव्यों के निर्वहन में निरन्तर उपेक्षा करने पर ;
- (ग) किसी ऐसी परिस्थिति के घटित होने पर जो धारा 60 के अधीन उसे नियक्ति के लिए अपात्र बनाती है : या
- (घ) उसके पद के कर्तव्यों से बाहर किसी वैतनिक नियोजन में उसकी पदावधि के दौरान स्वयं लगा हुआ है।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 28, 2008 (BHDR. 6, 1930 SAKA)

- प्राधिकरण का 63. प्राधिकरण विधि, वित्त, अन्वेषणात्मक तकनीक इत्यादि में सुविवेचित कुशल सहायतार्थ अमला। अधिकारियों की पर्याप्त संख्या तथा उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए यथाविहित निबन्धन तथा शर्ते तथा भत्तों सहित अपेक्षित संहायतार्थ अमले द्वारा सहायता---प्राप्त होगा ।
- ^{कारबार संचालन}। 64. प्राधिकरण अपने कारबार के संचालन के लिए अपने स्वयं के नियम बनाएगा।
- प्राधिकरण के कृत्य। 65. (1) प्राधिकरण पुलिस कार्मिक के विरुद्ध नीचे यथा विस्तृत ''गम्मीर कदाचार'' के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जांच करेगा --
 - (क) पीड़ित या गृहीत शपथ-पत्र पर उसकी ओर से किसी व्यक्ति :
 - (ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग ।

व्याख्या.— इस अध्याय के प्रयोजन के किए ''गम्भीर कदाचार'' से अभिप्राय होगा पुलिस अधिकारी का कोई कृत अथवा अकृत जो निम्नलिखित की ओर ले जाता है या समझी जाती है---

(क) पुलिस हिरासत में मृत्यु ;

(ख) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास :

(ग) पुलिस हिरासत में गहरी चोट :

परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जांच करेगा, यदि उसकी शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि हो जाती है :

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा कृतकनाम शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी ।

(2) प्राधिकरण पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी अन्य मामले की भी जांच कर सकता है।

66. प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जांचे गये मामलों में उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5), के अधीन वाद का विचारण करने के लिए तथा विशिष्टतया निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी --

- (क) साक्षियों को समन करना तथा हाजिर कराना तथा उनकी परीक्षा शपथ पर करना ;
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करना तथा प्रस्तूत करना ;
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

प्राधिकरण की शक्तियां ।

- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना .
- साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए प्राधिकार देना ; तथा (ङ)
- यथाविहित कोई अन्य मामला। (च)

67. (1) प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जांचे गए मामलों में, जांच पूरी होने पर, प्राधिकरण के निर्णय वह राज्य सरकार को अपना निर्णय संसूचित करेगा।

(2) राज्य सरकार प्राधिकरण के निर्णयों तथा सिफारिशों पर विचार करेगी तथा उचित कार्रवाई करेगी।

68. राज्य सरकार जब कभी अपेक्षित हो प्रत्येक जिले के लिए जिला पुलिस जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण । शिकायत प्राधिकरण अधिसचित तथा गठित करेगी।

अध्याय IX

साधारण अपराध, शास्तियां तथा जिम्मेवारियां

69. (1) जिले का पुलिस अधीक्षक या कोई अधिकारी जो तहायक पुलिस सहायक या उप अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, जहां आवश्यक हो, किसी जन मार्ग, गली या आम रास्ते पर सभी समाओं तथा जुलूसों के संचालन का निदेश दे सकता है, तथा मार्गो जिनसे तथा समय जिन पर. ऐसा जुलूस निकाला जा सकता है, विनिर्दिष्ट कर सकता है ।

(2) किसी मार्ग, गली या आम रास्ते पर किसी जुलूस का आयोजन करने के लिए. या किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई सभा बुलाने के लिए आशयित किसी व्यक्ति का, सम्बद्ध पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को लिखित में सूचना देने का कर्तव्य होगा ।

(3) जिले का पुलिस अधीक्षक या कोई अधिकारी जो पुलिस पुलिस सहायक / उप अधीक्षक की पदवी से नोचे का न हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर या अन्यथा, तथा संतुष्टि हो जाने पर कि ऐसी सभा या जुलूस यदि सम्यक् नियंत्रण तथा विनियमन के बिना अनुज्ञात किया जाता है, शान्ति भंग होने की संमावना है, जिन पर केवल ऐसी समा या जुलूस निकाला जा सकता है समाधानप्रद विनियामक व्यवस्थाओं के लिए पूर्वोपाय करने सहित आवश्यक कदम उठा सकता है। अभिलिखित की जाने वाली विशेष परिस्थितियों के अधीन, सम्बद्ध अधिकारी लोक हित में सभा या जुलूस को प्रतिषेध भी कर सकता है। सभी आदेश तथा निर्देश, यथासंमव, सूचना की प्राप्ति के अडतालीस घन्टों के भीतर दिए जाएंगे।

70. जिले का पुलिस अधीक्षक था कोई अधिकारी जो पुलिस सहायक या उप अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो समय तथा स्वर जिसमें संगीत तथा अन्य ध्वनि यंत्र गलियों में या के नजदीक या किसी सार्वजनिक स्थान में किन्हीं अनुष्ठानों तथा अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो पड़ोस के निवासियों के लिए कष्ट का कारण बनते हैं का विनियमन कर सकता है ।

सार्वजनिक स्थानों में संगीत तथा अन्य ध्वनि यंत्र के उपयोग का विनियमन ।

जनसमाओं तथा जुलूसों का विनियमन् ।

तथा निवेशन ।

71. (1) जिले का पुलिस अधीक्षक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यवस्था बनाए रखने यलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जनता को जन मार्गों तथा गलियों, आम रास्तों या किसी सार्वजनिक स्थान पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए. राहगीरों की बाधा, क्षति या कष्ट के निवारण के लिए, यक्तियक्त निर्देश दे सकता है ।

> (2) जिले का पलिस अधीक्षक सम्पूर्ण जिले या उसके किसी भाग के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन साधारण निर्देश जारी कर सकता है ।

> 72. (1) जो कोई इस अधिनियम की धारा 69. 70. 71 तथा 79 के उपबंधों का उल्लंघन करता है किंसी भी प्रकार की अवधि के कारावास से, जो छह मास तक हो सकती है या जुर्माने मे जो दस हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा ।

> (2) तथापि या तो अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या बाद में, ये अपराध ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा तथा ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिदिष्ट करे, प्रशमित किए जाएंगे ।

> (3) जहां छए-आरा (2) के अधीन कोई अपराध प्रशमित किया गया है. वहां अपराधी, यदि हिरासत में है, तो रिहा कर दिया जाएगा तथा ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई भी कार्यवाहियां नहीं की जाएंगीं ।

73: (1) जिले का पुलिस अधीक्षक, सार्वजनिक नोटिस द्वारा, किसी गली या अन्य सार्वजनिक स्थान को किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकता है, तथा ऐसी शर्ते जो विनिर्दिष्ट की जाए, के सिवाय इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र में जनता को प्रवेश करने से प्रतिषेध कर सकता है !

(2) जिले का पुलिस अधीक्षक किसी पुलिस अधिकारी को किन्हीं विधिक उपबंधों को उल्लंघना के लिए वाहनों या उनके अधिमोगियों की जांच-पड़ताल करने के लिए जनमागौँ तथा गलियों पर बैरियर तथा अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

(3) ऐसा आदेश करते हुए, जिले का पुलिस अधीक्षक राहगीरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) अस्थायी संरचनाएं, प्रयोजन जिसके लिए वे लगाई गई थीं समाप्त हो जाता है, तुरन्त हटा लो जाएंगी ।

कोई व्यक्ति जो किसो पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों तथा कुलों के 74. निर्वहन में बाधा डालता है, दोषसिद्ध पर, तीन मास से अनधिक के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों के लिए दायी होगा ।

75 जो कोई, सेवा का सदस्य न होने पर, राज्य सरकार द्वारा, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त किसी प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना, पुलिस वर्दी या उस वर्दी का रंग-रूप रखने वाली या किन्हीं सुमिन्न चिहनों वाली कोई पोशाक पहनता है, दोषसिद्ध पर, छह मास से अनधिक के कारावास वा जुर्माने से या दानों से दण्डनीय होगा ।

सार्वजनिक स्थानी को आरक्षित करने तथा बैरियर निर्मित करने की शक्ति ।

पुलिस कार्य में बाचा ভালনা ।

पुलिस वर्दी का अप्राधिकृत प्रयोग ।

रतन मार्गी प्रज

के लिए निर्देश ।

शास्ति तथा अपराघो का प्रामन ।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.). AUG. 28, 2008 (BHDR. 6, 1930 SAKA)

76. जो कोई, युलिस अधिकारी के रूप में न रहने पर, अपना नियुक्ति प्रमाण-पत्र, उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए उसको दिए गए वस्त्र, साज सामान तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं तुरन्त परिदत्त नहीं करता है. विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर, कम से कम एक हजार रुपए के जुमनि के लिए दायी होगा ।

77. जो कोई मिथ्या कथन देता है या कोई कथन जो किसी पुलिस अधिकारी को, किसी लाम को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए तात्विक विशिष्टियों में भ्रमित कर रहा है, दोषसिद पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक हो सकती है या पांच हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

78. जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए-

- या जानबुझकर कर्तव्यों का त्याग अथवा कर्तव्यों का प्रत्याहार करता (क) है
- किसी दूसरे युलिस अधिकारी के विरुद्ध अपराधिक बल का प्रयोग (ख) करता है, अथवा सकल आज्ञा भंग में संलिप्त होता है ; या
- कोई प्रदर्शन, जुलूस या हड़ताल स्वयं करता है, या में भाग लेता है (ग) या के लिए बल प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार से हड़ताल के किसी रूप को अवग्रेरित करता है या किसी बात को मानने के लिए किसी प्राधिकारी को राध्य करने के लिए दबाव डालता है या शारीरिक बल का प्रयोग करता है, दोषसिद्ध पर, ऐसी अवधि के कारातास से जो एक वर्ष तक हो सकता है या दस हजार रुपये से अनधिक के जुमनि से या दोनों से दण्डनीय होगा।

79. (1) कोई व्यक्ति जो निवासियों या राहगीरों को असुविधा, परेशानी या लोक अपराध। खतरा उत्पन्न करने हेतु इस घारा के प्रयोजन के लिए किसी जनमार्ग, या गली या आम रास्ते, या किसी जगर परिषद् या निगम या अधिसूचित क्षेत्र में, निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, दोषसिद्ध पर, न्यायालय द्वारा एक मास से अनधिक कारावास या जुर्माना जो एक हजार रुपये से कह नहीं होगा या दोनों के लिए दायी होगा -

- जानबूझकर, किसी पशु को घुमाता है या किसी पशु को रखता है (क) या उद्धरण या अवतरण के लिए या यात्रियों को चढ़ाने या उतारने के लिए किसी भी प्रकार का वाहन अपेक्षा से अधिक समय के लिए खड़ा रखता है या ऐसी सीति में किसी वाहन को छोडता हैं जिससे कि जनता को असुविधा या खतरा हो, की अनुमति देता हो. या जनमार्ग या आम रॉस्ते या पगडण्डी का सामान बेचने या भण्डारण के लिए उपयोग करता है :
- शराब पीकर झगड़ा करता है. या हंगामा करता या किसी व्यक्ति पर (ख) प्रहार करता है या शरीर का कोई अनुचित प्रदर्शन करता है :
- उसके प्रमार या अधिपत्य के अधीन किसी कुएं, कुण्ड, गड्ढे या (ग) अन्य खतरनाक स्थान या सरचना की बाड करने या यथावत सरक्षा

पुलिस अधिकारियों के रूप में न रहने पर प्रमाण-पन्न इत्यादि परिदत्त करने से इकार करना।

किसी पुलिस अधिकारी को दिये गये मिध्या या भ्रामक कथन ।

पुलिस अधिकारी हारा कर्तव्य की अवडेलना।

देने की उपेक्षा करता है या अन्यथा भार्वजनिक स्थान पर खतरनाक स्थिति पैदा करता है ;

- (घ) सम्पत्ति के अभिरक्षक की पूर्व अनुमति के बिना, दीवारों, भवनों, सड़क चिहनों अथवा अन्य संरचनाओं को विकृत करता है या नोटिस चिपकाता है या चित्रकारी करता है ;
- (ङ) स्वेच्छा से किसी पब्लिक अलार्म सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या अतघ्वस करता है
- (च) जानबूझकर या स्वेच्छा से जनता में व्यापक आतंक पैदा करके आवश्यक सेवा को क्षतिकारित करता है ;
- (छ) किसी सरकारी भवन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदर्शित सार्वजनिक नोटिस के उल्लंघन में कार्य करता है :

परन्तु पुलिस संबंधित कार्यालय के केवल प्राधिकृत कृत्यकारी द्वारा की गई शिकायत पर ही इस अपराध का संज्ञान लेगी :

(ज) अश्लील प्रस्ताव या संकेत या बहाने द्वारा किसी महिला को परेशान करता है .

परन्तु पुलिस केवल पीड़ित या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई शिकायत पर ही इस अपराध का संज्ञान लेगी

(झ) कोई हानिकर गैस या तरल छोड़ता है जो किसी को परेशानी या असुविधा या संभाव्य हानि पहुंचाता है।

(2) जो कोई भी उप--धारा (1) के अधीन, अपराध करता है, पश्चात्यर्ती दोषसिद्ध पर तीन मास से अनधिक के कारावास सहित किसी वर्धित उण्ड के लिए दायी होगा ।

80. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा अपराध संस्थित करने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर या की पूर्व स्वीकृति के, जब अपराधी व्यक्ति पुलिस अधिकारी है किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

81. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 300 में यथा अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यर्धान इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा की गई किसी बात या दण्ड के लिए किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित किए जाने या दण्ड दिए जाने से रोका जाए।

82. कोई भी न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 468 में यथा उपबंधित परिसीमा की अवधि की समाप्ति के बाद इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। परिसीमा अदधि की संगणना करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अध्याय XXXVI के उपबंध लागू होंगे।

पुलिस अधिकारी का अभियोजन ।

अन्य विधियों के अवीन अपराधों के लिए अभियोजन i

कार्रवाहियों की परित्तीमा ।

अध्याय X

विविध

83. इस अधिनियम में वर्णित जिले के पुलिस अधीक्षक की सभी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यों का, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में, आयुक्त या इस निमित्त किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाएगा ।

84. इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्तियों या लिखित अनुज्ञा के लिए भुगतान की गई सभी फीसे तथा पुलिस अधिकारी द्वारा आदेशिका की तामील के लिए मुगतान की गई सभी धन-राशियों तथा सभी पुरस्कारों तथा जब्तियों तथा शास्तियों या उनके हिस्से, जो विधि द्वारा सूचना देने वालों के रूप में पुलिस अधिकारियों को भूगतानयोग्य हैं, के सिवाय जहां तक हो, लागू किसी अधिनियमिती के उपबंधों के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित किन्हीं ऐसी फीसों या धन-राशियों को राज्य सरकार के पास जमा करवाया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति से अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन विशेष सेवाओं के लिए किसी ऐसे पुरस्कार, जब्दी या शास्ति का सम्पूर्ण या कोई भाग पुलिस अधिकारी को भुगतान किया जाएगा अथवा दो या अधिक पुलिस अधिकारियों के बीच विभाजित किया जाएगा ।

85. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकार या किसी आदेशों तथा ः अधिसूचनाओं को अधिकारी द्वारा प्रकाशित या जारी किया गया कोई आदेश या अधिसूचना तथा उसका सम्यक प्रकाशन या जारी करना, राजपत्र में उसकी प्रति, या उसको लागू अधिनियम ढंग । की धारा के उपबन्धों के अनुसार मूल प्रकाशित या जारी की सत्यता के रूप में ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा उस द्वारा प्रमाणित उसकी प्रति के प्रस्तूतीकरण द्वारा सिद्ध की जाएगी।

86. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन या इसके अधीन बनाए गए कोई भी नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन, या अधिसूचना बनाई अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी तथा कोई भी अधिनिर्णय, जांच या कार्य नहीं किया जाएगा, जो उसकी सारगर्भित अनुरूपता में है, केवल किसी त्रूटि या रूप--विधान के कारण अवैध, अभिशून्य तथा अमान्य समझा जाएगा ।

87. जब कभी आयुक्त या पुलिस अधिकारी के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप, कार्यभार संभालने वाले या रिक्तियों में ऐसे आयुक्त या पुलिस अधिकारी या उत्तराधिकारी के पद का कार्यमार संमालने वाला शक्तियों का प्रयोग कोई अधिकारी या तो अस्थाई तौर पर या स्थाई तौर पर काम करता है तो ऐसा करने वाले उत्तरवर्ती अधिकारी, ऐसे आयुक्त या पुलिस अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम द्वारा सक्षम अधिकारी। क्रमशः प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा अधिरोपित सभी कर्तव्यों को करने के लिए सक्षम होगा।

88. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति तथा अनुज्ञा । लिखित अनुज्ञा अवधि तथा परिक्षेत्र जिसके लिए तथा शर्ते तथा निबंधन जिनके

सिद्ध करने का

नियमों तथा आदेशों की विधिमान्यता।

फीस तथा पुरस्कारों

की व्यवस्था करना।

आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुलिस अधीक्षक की शक्तियां ।

अध्यधीन उसे प्रदान किया गया है, विनिर्दिष्ट होंगी तथा सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षराधीन दी जाएगी तथा उसके लिए ऐसी फीस प्रभारित की जाएगी जो विहित की जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा, यदि किसी व्यक्ति जिसको यह प्रदान की गई है, द्वारा किन्हीं शर्तों या निबंधनों का उल्लंघन या अपवंचन किया जाता है या यदि ऐसा व्यक्ति किसी मामले में जिससे ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा संबंधित है, किसी अपराध का सिद्धदोष हो गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निलम्बित या प्रतिसंहृत की जा सकती है ।

(3) जब कोई ऐसी अनुज़प्ति या लिखित अनुज्ञा निलम्बित या प्रतिसंहत की गई है या जब अवधि जिसके लिए इसे प्रदान किया गया था, समाप्त हो गई है, तो व्यक्ति जिसको इसे प्रदान किया गया था इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, जब तक निलम्बित करने या प्रतिसंहत करने के ऐसे आदेश को रदद नहीं किया जाता है या जब तक कि उसे नवीकृत नहीं किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के बिना समझा जाएगा ।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जिसको कोई ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई है जब तक यह लागू रहती है समी युक्तियुक्त समय पर, यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, इसे प्रस्तुत करेगा ।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजन के लिए व्यक्ति जिसको अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई है की ओर से कार्य कर रहा सेवक या अन्य अभिकर्ता द्वारा कोई ऐसा उल्लंघन या अपवंचन, या का सिद्धदोष व्यक्ति जिसको ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई है द्वारा यथास्थिति किया गया उल्लंघन या किया गया अपवंचन या का सिद्धदोष समझा जाएगा ।

89. इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित कोई सार्वजनिक सूचना सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षराधीन लिखित में होगी तथा उससे प्रभावित होने वाले परिक्षेत्र में सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों में उसकी प्रतियां चिपकाते हुए, या डोंडी पिटवाकर उसे उद्घोषित करते हुए, या अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा या हिन्दी के ऐसे स्थानीय अखबारों में उसका विज्ञापन देते हुए, जो उक्त प्राधिकारी उचित समझे या इन साधनों में से कोई दो अधिक साधनों द्वारा या किन्हीं अन्य साधनों द्वारा जो वह उपयुक्त समझे, प्रकाशित की जाएगी :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि होने पर कि तुरंत प्रभाव से लागू करने में कोई विनियम बनाना लोकहित में है,तो वह पूर्व प्रकाशन के बिना ऐसा निदेश या विनियम बना सकता है ।

90. इस अधिनियम के अधीन जब कभी, किसी बात को करने या छोड़ने या किसी बात की वैधता, सक्षम प्राधिकारी की सहमति, अनुमोदन, उद्घोषणा, राय या संतुष्टि पर निर्भर करता है, ऐसी सहमति, अनुमोदन, उद्घोषणा, राय या संतुष्टि को सूचित करने या बताने के लिए तात्पर्यित सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज उसका पर्याप्त साक्ष्य होगा।

सार्वजनिक सूचनाए ।

सक्षम प्राधिकारी की सहमति ।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 28, 2008 (BHDR. 6, 1930 SAKA)

91. इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा सूचनाओं पर अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने वाली प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुज्ञा, हस्ताक्षर । सूचना या अन्य दस्तावेज, समन या वारंट या तलाशी वारंट न होते हुए भी, उचित रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी यदि उस पर उसके हस्ताक्षर मोहर की अनुलिपि है ।

92. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों नियम बनाने की को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा। यदि सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उसके पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रमावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, इस प्रकार तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रमाव नहीं डालेगा ।

93. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कठिनाईयों को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध कर सकती है जो वह आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना इसके जारी होने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखी जाएगी ।

94. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) में अन्तर्विष्ट किसी मामलो के संक्षिप्त बात के होते हुए मी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध जमानतीय तथा असंज्ञेय विचारण की शवित । होंगे तथा इस निमित्त विशेषरूप से सशक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संक्षिप्त रूप में विचार किए जाएंगे ।

95. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) के उपबंध, जहां तक दण्ड प्रकिया संहिता, वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, लागू होंगे।

1973 के उपबंधों का इस अधिनियम को लागू होना।

96. (1) पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का अधिनियम 5), हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या संस्थित की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या संस्थित की गई कोई कार्यवाही समझी जाएगी ।

(3) इस प्रकार निरसित अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की किन्हीं अधिनियमितियों में सभी संदर्भ इस अधिनियम के उपबंधों के संदर्भ के अर्थ समझे जाएंगे ।

शक्ति ।

कठिनाईया दूर करने की शक्ति ।

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

(4) पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का अधिनियम 5), हरियाणा राज्यार्थ, के अधीन बनाए गए पंजाब पुलिस नियम जब तक कि इस अधिनियम के अधीन नये नियम नहीं बनाए जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे ।

> एम० एस० सुल्लर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विमाग।

44702-L.R.-H.G.P., Chd.